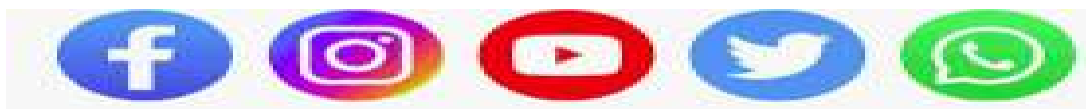


VAID ICS LUCKNOW



करेंट अफेयर्स मैगज़ीन
यूपीएससी / यूपी पीसीएस
मार्च, 2025



B-36, SECTOR-C, ALIGANJ, LUCKNOW-226024

क्र. सं. टॉपिक	पृष्ठ सं.	क्रम सं. टॉपिक	पृष्ठ सं.
1. आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की	1	प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य	
2. सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS)	3	1. आर्कटिक बोरियल ज़ोन	42
3. MCADWM	5	2. "निवेशक दीदी" पहल	43
4. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो	7	3. वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण	45
5. नमक पैन भूमि	9	4. पिलिकोड रायारमंगलम भगवती मंदिर	46
6. कांचा गचीबाउली फॉरैस्ट	11	5. ऑपरेशन ब्रह्मा	47
7. पीएमएफएमई	13	6. उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति	48
8. चीराओबा त्योहार	15		
9. अनुच्छेद 200/201	17		
10. IMEEC पहल	21		
11. आरबीआई: शहरी उपभोक्ता पर रिपोर्ट	22		
12. पोंडी मरीना	24		
13. अनुसूचित जातियों का उप-श्रेणीकरण	25		
14. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा	26		
15. जीपीएस स्पूफिंग	28		
16. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025	30		
17. भारत में एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के नियमन का दृष्टिकोण	31		
18. औपचारिक विनिर्माण में महिलाओं की भागीदारी में गिरावट	33		
19. व्यय वित्त समिति	34		
20. वाहन-से-ग्रिड (V2G) प्रौद्योगिकी	37		
21. विकसित भारत 2047: राष्ट्रीय दृष्टि	39		

आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की

समाचार में क्यों है? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी मौद्रिक नीति में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रेपो रेट में 25 आधार अंकों (0.25%) की कटौती और विकास अनुमान को 6.7% से घटाकर 6.5% करना अर्थव्यवस्था में बदलाव के संकेत देता है।

यूपीएससी के लिए क्यों महत्वपूर्ण?

प्रारंभिक परीक्षा: रेपो रेट/अन्य संबंधित टॉपिक्स ।

मुख्य परीक्षा: ये दरें अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं?

आरबीआई ने रेपो रेट क्यों घटाया?

आरबीआई ने निम्नलिखित संभावित कारणों के आधार पर रेपो रेट में कटौती की होगी:

स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ (आर्थिक विकास में गिरावट): विकास दर के अनुमान को 6.7% से 6.5% तक कम करना यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ रही है, संभवतः कमजोर मांग, वैश्विक अनिश्चितताओं, या घरेलू चुनौतियों (जैसे औद्योगिक उत्पादन या खपत में कमी) के कारण।

नियंत्रित मुद्रास्फीति: यदि मुद्रास्फीति आरबीआई के लक्ष्य सीमा (आमतौर पर 2-6%, 4% का मध्य बिंदु) के भीतर है, तो केंद्रीय बैंक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मौद्रिक नीति को आसान बना सकता है।

वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां: वैश्विक व्यापार में मंदी या कमोडिटी कीमतों (जैसे तेल) में गिरावट जैसे बाहरी कारकों ने आरबीआई को सस्ती क्रेडिट के माध्यम से अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया हो सकता है।

व्यवसायों और उपभोक्ताओं को समर्थन: दर में कटौती से उधारी लागत कम होती है, जिससे निवेश और खर्च को बढ़ावा मिल सकता है, जो आर्थिक गतिविधि को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकता है।

इसका प्रभाव क्या होगा?

रेपो रेट कटौती से निम्नलिखित प्रभाव होने की संभावना है:

1. **उधारी लागत में कमी:** बैंक आरबीआई से उधार लेने में कम खर्च करेंगे, और यह लाभ ग्राहकों को कम ऋण ब्याज दरों (जैसे होम लोन, कार लोन) के रूप में मिलेगा।
2. **निवेश में वृद्धि:** सस्ते ऋण व्यवसायों को विस्तार या नई परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे रोजगार और उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।
3. **उपभोक्ता खर्च में वृद्धि:** कम ईएमआई (समान मासिक किस्त) बोझ के साथ, परिवार वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक खर्च कर सकते हैं, जिससे मांग को बढ़ावा मिलेगा।
4. **मुद्रास्फीति जोखिम:** आसान मनी सप्लाई मांग आपूर्ति से अधिक हो जाने पर मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है। हालांकि, आरबीआई को लगता है कि यह जोखिम धीमी वृद्धि को देखते हुए प्रबंधनीय है।

5. **शेयर बाजार की प्रतिक्रिया:** बाजार प्रारंभ में आर्थिक प्रोत्साहन की उम्मीद से बढ़ सकता है, हालांकि कम विकास अनुमान से लाभ सीमित हो सकता है।
6. **कमजोर रुपया:** कम ब्याज दरें विदेशी निवेश प्रवाह को कम कर सकती हैं, जिससे भारतीय रुपये पर अन्य मुद्राओं के मुकाबले दबाव बढ़ सकता है।

रेपो रेट क्या है?

रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक जरूरतों के लिए पैसा उधार देता है, आमतौर पर सरकारी प्रतिभूतियों के बदले। यह मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उपकरण है:

- जब आरबीआई रेपो रेट को कम करता है, तो यह बैंकों के लिए उधारी सस्ती बनाता है, जिससे वे व्यवसायों और व्यक्तियों को अधिक उधार देते हैं।
- जब यह रेपो रेट बढ़ाता है, तो यह ऋण को महंगा बनाकर धन आपूर्ति को नियंत्रित करता है, जिससे मुद्रास्फीति कम होती है।
- 25 आधार अंकों की कटौती का मतलब है कि दर में 0.25% की कमी (जैसे, 6.5% से घटकर 6.25%)।

यह समग्र अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है?

तरलता और क्रेडिट: कम रेपो रेट बैंकिंग प्रणाली में तरलता (उपलब्ध पैसा) बढ़ाता है, जिससे क्रेडिट अधिक सुलभ हो जाता है। यह रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकता है।

मुद्रास्फीति नियंत्रण: दर को समायोजित करके, आरबीआई विकास और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाए रखता है। कटौती विकास का समर्थन करती है, लेकिन यदि अधिक हो, तो मुद्रास्फीति का जोखिम हो सकता है।

निवेश और विकास: कम दरें व्यवसायों को पूंजीगत व्यय के लिए आकर्षित करती हैं, जिससे जीडीपी वृद्धि होती है। हालांकि, 6.5% के कम विकास अनुमान से पता चलता है कि आरबीआई इस प्रोत्साहन के बावजूद उच्च वृद्धि हासिल करने में चुनौतियों की उम्मीद करता है।

बचत और जमा: कम दरें बैंक जमा पर रिटर्न को कम कर सकती हैं, जिससे बचतकर्ता शेयरों या म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों की तलाश कर सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बदल सकता है।

निर्यात प्रतिस्पर्धा: कमजोर रुपया (कम दरों के कारण) भारतीय वस्तुओं को विदेशों में सस्ता बना सकता है, जिससे निर्यात बढ़ सकता है, हालांकि आयात (जैसे तेल) महंगा हो सकता है।

निष्कर्ष:

9 अप्रैल, 2025 को आरबीआई द्वारा 25 आधार अंकों की रेपो रेट कटौती धीमी अर्थव्यवस्था का समर्थन करने की रणनीति को दर्शाती है, जैसा कि 6.5% के संशोधित विकास अनुमान से संकेत मिलता है। यह निवेश और खपत को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है, लेकिन इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि बैंक दर कटौती को कैसे पारित करते हैं, वैश्विक परिस्थितियां, और मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति।

सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS)

खबर में क्यों? सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति (Cabinet Committee on Security - CCS) ने 9 अप्रैल, 2025 को भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल-एम लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए ₹63,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दी। यह सौदा भारत के रक्षा और रणनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स के लिए महत्व:

प्रीलिम्स:

- **कैबिनेट समितियां:** CCS की भूमिका।
- INS विक्रान्त, राफेल-एम, या प्रोजेक्ट-75 के बारे में विवरण।

मेन्स:

- **GS पेपर II (राज्यव्यवस्था और शासन):** राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णयों में CCS की भूमिका, जो भारत के शासन ढांचे और कार्यकारी प्राधिकरण से जुड़ी है।
- **GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध):** यह सौदा भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। यह भारत की विदेश नीति और रक्षा सहयोग में इंडो-पैसिफिक रणनीति के संदर्भ में चर्चा योग्य है।
- **GS पेपर III (सुरक्षा):** यह सौदा आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चुनौतियों, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देता है।

मुख्य बिंदु:

CCS की मंजूरी:

- 9 अप्रैल, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCS ने ₹63,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दी।

सौदे का विवरण:

- 22 सिंगल-सीटर और 4 ट्विन-सीटर ट्रेनर विमानों की खरीद।
- डिलीवरी 3.5 वर्षों में शुरू होगी और 6.5 वर्षों में पूरी होगी।

रणनीतिक उद्देश्य:

- INS विक्रान्त और INS विक्रमादित्य के लिए नौसैनिक हवाई शक्ति को बढ़ाना।
- स्वदेशी TEDBF (Twin Engine Deck Based Fighter) के तैयार होने तक सामरिक क्षमताओं को मजबूत करना।

फ्रांस कनेक्शन:

- यह एक सरकार से सरकार के बीच का सौदा है।
- सौदा अप्रैल 2025 में फ्रांसीसी रक्षा मंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित होने की संभावना है।

लंबित पनडुब्बी सौदा:

- तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन-श्रेणी की पनडुब्बियों का CCS की मंजूरी की प्रतीक्षा।

- यह प्रोजेक्ट-75 के तहत फ्रांस की नेवल ग्रुप और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) के साथ जुड़ा हुआ है।

परिचालन संदर्भ:

- राफेल-एम के प्रदर्शन का अवलोकन वरुण अभ्यास के दौरान किया गया।
- विमान वाहक पर फिटिंग के लिए कुछ छोटे संशोधनों की आवश्यकता।

सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति (CCS) के बारे में:

CCS राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, और रणनीतिक महत्व के मामलों में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च समिति है।

- अध्यक्ष: प्रधानमंत्री।
- सदस्य: रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, और वित्त मंत्री।

भूमिका:

- प्रमुख रक्षा खरीद को मंजूरी।
- सुरक्षा खतरों का आकलन।
- सैन्य और आंतरिक सुरक्षा पर नीतियों का निर्माण।

महत्व:

- महत्वपूर्ण निर्णयों पर केंद्रीकृत कार्यकारी नियंत्रण।
- विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है।

मंत्रिमंडल समितियों के प्रकार:

स्थायी समितियां (Standing Committees):

- **सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति (CCS):** रक्षा, सुरक्षा, और रणनीतिक मामलों पर ध्यान केंद्रित।
- **आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (CCEA):** आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं को संभालती है।
- **राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (CCPA):** राजनीतिक और शासन संबंधी मुद्दों का प्रबंधन।
- **संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडल समिति:** विधायी एजेंडा का प्रबंधन।
- **नियुक्तियों पर मंत्रिमंडल समिति (ACC):** वरिष्ठ नौकरशाही नियुक्तियों की देखरेख।

एड-हॉक समितियां (Ad Hoc Committees):

- विशेष मुद्दों के लिए अस्थायी रूप से गठित।
- जैसे: एक बार के नीति समीक्षा के लिए समिति।

आधुनिकीकृत कमांड एरिया डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट (MCADWM)

समाचार में क्यों: हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत "आधुनिकीकृत कमांड एरिया डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट (MCADWM)" उप-योजना को मंजूरी दी है। यह पहल पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच छोटे किसानों को समर्थन और जल प्रबंधन में सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

महत्व: प्रीलिम्स के लिए: MCADWM और अन्य संबंधित योजनाओं के बारे में।

मेंस के लिए: जीएस 3 (कृषि):

- कृषि सुधार, किसानों की समस्याएं, जलवायु परिवर्तन और जल की कमी से जुड़े मुद्दे।
- सिंचाई के आधुनिकीकरण और टिकाऊ कृषि के लिए कदम।

समाचार के मुख्य बिंदु:

मंजूरी और वित्त पोषण:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,600 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन के साथ MCADWM उप-योजना को मंजूरी दी।

उद्देश्य:

- भारत के सिंचाई बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना।
- नहरों और अन्य स्रोतों से नामित खेती समूहों तक पानी की आपूर्ति नेटवर्क को सुधारना।

लक्षित लाभार्थी:

- छोटे जोत वाले किसानों को प्राथमिकता देना।
- जल उपयोग दक्षता में सुधार और पानी के समान वितरण को सुनिश्चित करना।

प्रौद्योगिकी का उपयोग:

- सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्जिजिशन (SCADA) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके जल प्रबंधन को अनुकूलित करना।

सतत विकास लक्ष्यों पर जोर:

- आधुनिकीकरण के अलावा, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।
- दीर्घकालिक कृषि स्थिरता और जलवायु लचीलापन सुनिश्चित करना।

मूल योजना:

- MCADWM, PMKSY की उप-योजना के रूप में कार्य करती है।

- इसका उद्देश्य सिंचाई कवरेज को बढ़ाना और जल दक्षता में सुधार करना है।

संबंधित योजनाएं:

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):

- 2015 में शुरू की गई यह योजना "हर खेत को पानी" और "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" पर केंद्रित है।
- इसमें सूक्ष्म सिंचाई और जल दक्षता पर जोर दिया गया है।

कमांड एरिया डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट (CADWM):

- CADWM कार्यक्रम को MCADWM के तहत आधुनिक बनाया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य सिंचाई क्षमता और उसके उपयोग के बीच के अंतर को पाटना और खेत स्तर पर जल प्रबंधन में सुधार करना है।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA):

- यह मिशन टिकाऊ कृषि पद्धतियों, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देता है।

सूक्ष्म सिंचाई निधि (MIF):

- नाबार्ड द्वारा प्रबंधित इस निधि का उद्देश्य ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को अपनाने को बढ़ावा देना है।

अटल भूजल योजना:

- सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल संरक्षण पर केंद्रित।
- सतही सिंचाई आधुनिकीकरण प्रयासों को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देती है।

महत्व:

इन योजनाओं का सामूहिक उद्देश्य जल की कमी का समाधान करना, सिंचाई की पहुंच को बढ़ाना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। MCADWM पहल भारत की कृषि और जल नीति ढांचे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

एनसीबी (Narcotics Control Bureau)

समाचार में क्यों है? एनसीबी (Narcotics Control Bureau) ने हाल ही में सिलचर, असम में दो अभियानों के दौरान 30.4 किलोग्राम मेथामफेटामिन ('याबा') टैबलेट्स, जिनकी कीमत 24.32 करोड़ रुपये है, को जब्त किया।

- तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो नशीली दवाओं की तस्करी नेटवर्क पर लक्षित कार्रवाई का संकेत है।
- यह अभियान एनसीबी, असम पुलिस और सीआरपीएफ के बीच समन्वय के माध्यम से संचालित हुआ, जो अंतर-एजेंसी सहयोग को दर्शाता है।

यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्यों महत्वपूर्ण?

यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए:

- एनसीबी की भूमिका, संरचना और अधिकार क्षेत्र / एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की जानकारी।
- गोल्डन ट्रायंगल।

यूपीएससी मेंस के लिए:

सामान्य अध्ययन पत्र II (शासन और राजनीति):

- नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (NDPS) अधिनियम, 1985 को लागू करने में एनसीबी की भूमिका।
- केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय (जैसे एनसीबी, असम पुलिस, सीआरपीएफ) संघीय शासन की चुनौतियों को दर्शाता है।

सामान्य अध्ययन पत्र III (आंतरिक सुरक्षा):

- ड्रग तस्करी एक गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरा है, जो संगठित अपराध, आतंकवाद और पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह से जुड़ा हुआ है।
- भारत-म्यांमार सीमा और तस्करी मार्गों के कारण सीमा सुरक्षा में चुनौतियां।
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, विशेष रूप से युवाओं में, और इसका राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव।

मेथामफेटामिन ('याबा') के बारे में:

मेथामफेटामिन एक शक्तिशाली, अत्यधिक नशेड़ी उत्तेजक है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसे दक्षिण-पूर्व एशिया में "याबा" के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से थाईलैंड, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों में। "याबा" का अर्थ थाई भाषा में "पागल दवा" है, जो इसके तीव्र मनोरोग प्रभाव को दर्शाता है।

संरचना और रूप:

- **मुख्य घटक:** मेथामफेटामिन और कैफीन।
- **रूप:** आमतौर पर छोटे, रंगीन गोलियों (लाल, नारंगी, या हरे) के रूप में।
- **उपयोग:** अक्सर निगला जाता है, कुचल कर धूम्रपान किया जाता है, या इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के बारे में:

संरचना और कार्य:

एनसीबी भारत की सर्वोच्च एजेंसी है, जिसका कार्य नशीली दवाओं की तस्करी और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को नियंत्रित करना है। इसे नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत स्थापित किया गया है। यह नशीली दवाओं से संबंधित कानून प्रवर्तन के समन्वय, नीतियों को लागू करने और भारत की अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों का पालन सुनिश्चित करने का कार्य करता है।

मुख्य भूमिकाएं:

- अवैध दवाओं को जब्त करना, तस्करी नेटवर्क को तोड़ना और अपराधियों को गिरफ्तार करना।
- केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय करना।
- तस्करी मार्गों और गिरोहों पर खुफिया जानकारी एकत्र करना।
- सीमा पार तस्करी को रोकने के लिए वैश्विक एजेंसियों और अन्य देशों के साथ सहयोग करना।
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियानों का समर्थन करना।

संरचना:

- मंत्रालय: गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन।
- मुख्यालय: नई दिल्ली।
- नेतृत्व: महानिदेशक (आमतौर पर एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी)।
- क्षेत्रीय इकाइयां: प्रमुख शहरों में क्षेत्रीय कार्यालय।

नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (NDPS) अधिनियम, 1985 के बारे में:

NDPS अधिनियम, 1985 भारत का मुख्य कानून है, जिसका उद्देश्य नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग को रोकना है, साथ ही नशीली दवाओं के वैध उपयोग को विनियमित करना है।

प्रमुख प्रावधान:

- नारकोटिक ड्रग्स: भांग, अफीम, हेरोइन, कोकीन, आदि।
- साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस: मेथामफेटामिन, एलएसडी, आदि।
- अपराध और दंड:
 - निर्माण, बिक्री और तस्करी: कठोर कारावास 7-20 साल।
 - व्यक्तिगत उपयोग के लिए कब्जा: छोटे मामलों में हल्की सजा।
 - ड्रग्स का सेवन: 6 महीने से 1 साल की सजा या पुनर्वास।

नमक पैन भूमि

खबर में क्यों? महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना (DRP) के तहत स्लम निवासियों के पुनर्वास के लिए मुलुंड, कांजुरमार्ग और भांडुप में 256 एकड़ नमक पैन भूमि के आवंटन को मंजूरी दी है।

नमक पैन भूमि क्या है?

नमक पैन भूमि, जिसे "सॉल्ट फ्लैट" भी कहा जाता है, एक समतल क्षेत्र होता है जो नमक और अन्य खनिजों से ढका होता है। यह आमतौर पर शुष्क या अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां पानी वाष्पित हो जाता है और खनिज पीछे छूट जाते हैं। ऐसी भूमि झीलों, तालाबों या समुद्री जल के सूखने से बनती है और अक्सर धूप में सफेद और चमकदार दिखाई देती है।

मुख्य विशेषताएं:

1. निर्माण प्रक्रिया:

- नमक पैन भूमि उच्च वाष्पीकरण दर वाले क्षेत्रों में बनती है, जैसे रेगिस्तान, जहां पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और घुले हुए खनिज पीछे रह जाते हैं।
- तटीय क्षेत्रों में, ज्वार के दौरान समुद्री जल निम्न इलाकों में भर जाता है और वाष्पित होकर नमक पैन का निर्माण करता है।
- हजारों वर्षों में खनिजों का संचय एक परत बनाता है।

2. पारिस्थितिकी:

- नमक पैन अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करते हैं, जिसमें विशेष पक्षी, कीट, और नमक-सहनशील पौधे शामिल हैं।
- तटीय क्षेत्रों में, वे आर्द्रभूमि या मैंग्रोव से जुड़े होते हैं और बाढ़ से बचाव में सहायक होते हैं।

3. आर्थिक भूमिका:

- पारंपरिक रूप से नमक उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे श्रमिकों को रोजगार मिलता है।
- नमक का उपयोग रसायन, कृषि, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में किया जाता है।
- कुछ नमक पैन अपने अद्वितीय परिदृश्य के कारण पर्यटन आकर्षित करते हैं।

उदाहरण:

दुनिया में:

- **सालार दे उयूनी, बोलीविया:**
विश्व का सबसे बड़ा नमक पैन, जो अपनी विशाल, दर्पण जैसी सतह और लिथियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है।
- **बोनेविल सॉल्ट फ्लैट्स, यूटा, यूएसए:**
अपनी समतलता के कारण भूमि गति रिकॉर्ड के लिए प्रसिद्ध।

भारत में:

1. कच्छ का रण, गुजरात:

- कच्छ का रण भारत के सबसे बड़े नमक रेगिस्तानों में से एक है और नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
- यह क्षेत्र भारत के नमक उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

2. तूतीकोरिन (थूथुकुडी), तमिलनाडु:

- दक्षिण भारत में तूतीकोरिन एक प्रमुख नमक पैन क्षेत्र है।
- यह औद्योगिक और खाद्य नमक उत्पादन का केंद्र है।

3. चिल्का झील क्षेत्र, ओडिशा:

- ओडिशा में चिल्का झील के आसपास के कुछ हिस्सों का उपयोग नमक उत्पादन के लिए किया जाता है।

4. मुंबई के उपनगर, महाराष्ट्र:

- मुंबई और इसके उपनगरीय क्षेत्र, जैसे मुलुंड, कांजुरमार्ग, भांडुप, और वडाला, ऐतिहासिक रूप से नमक पैन भूमि के लिए जाने जाते थे।
- इनमें से कई भूमि अब बंद हो चुकी हैं और आवास या बुनियादी ढांचे जैसी विकास परियोजनाओं के लिए देखी जा रही हैं।

5. लिटिल रण ऑफ कच्छ, गुजरात:

- बड़े कच्छ रण के निकट स्थित, यह क्षेत्र पारंपरिक नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है।

चुनौतियां और उपयोग:

1. पर्यावरणीय चिंताएं:

- नमक पैन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हैं।
- आवास या बुनियादी ढांचे जैसे विकास से बाढ़ रोकने की उनकी भूमिका बाधित हो सकती है और जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है।
- उदाहरण: मुंबई में नमक पैन भूमि पर शहरी परियोजनाओं का दबाव बाढ़ की आशंका बढ़ाता है।

2. विकास का दबाव:

- भूमि की कमी वाले शहरों में, नमक पैन भूमि को आवास या उद्योग के लिए देखा जाता है।
- हालांकि, उनकी निम्न स्थिति और पारिस्थितिक महत्व ऐसी योजनाओं को विवादास्पद बनाते हैं।

3. खतरें:

- नमक की परत के नीचे नरम, कीचड़ भरी जमीन छिपी हो सकती है, जो वाहन या लोगों के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती है।

कांचा गचीबाउली फॉरेस्ट (KGF)

समाचार में क्यों? हैदराबाद के "हरे-भरे फेफड़ों" के रूप में प्रसिद्ध कांचा गचीबाउली फॉरेस्ट (KGF), तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में, एक नए आईटी पार्क के निर्माण के लिए नष्ट कर दिया गया। यह कदम उस रिपोर्ट के बावजूद उठाया गया, जिसने इस क्षेत्र को नष्ट करने के पर्यावरणीय परिणामों की चेतावनी दी थी।

पर्यावरणीय धरोहर रिपोर्ट:

यह रिपोर्ट पारिस्थितिकीविद अरुण वसीरेड्डी और वन्यजीव फोटोग्राफर श्रीराम रेड्डी ने तैयार की, जिसमें बताया गया कि KGF के वनों की कटाई से तेलापुर, नल्लगंडला और गचीबाउली जैसे क्षेत्रों में तापमान 1-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।

गचीबाउली का महत्व:

- **तेलंगाना में वन क्षेत्र:**

भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट (Status of Forests Report) के अनुसार, तेलंगाना के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24% (27,292 वर्ग किमी) वन क्षेत्र है। इसमें से:

- 19,696.23 वर्ग किमी आरक्षित वन
- 6,953.47 वर्ग किमी संरक्षित वन
- 642.30 वर्ग किमी अवर्गीकृत वन

लेकिन 2014 में राज्य के गठन के बाद से सिंचाई और सड़क निर्माण परियोजनाओं के कारण वनों और जैव विविधता में कमी आई है।

- **वन्यजीव और जैव विविधता:**

- KGF में पाई जाने वाली 27 पक्षी प्रजातियां भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) की अनुसूची-1 के तहत सूचीबद्ध हैं।
- यह जंगल भारतीय रॉक पायथन, बंगाल मॉनिटर लिज़ार्ड, स्टार कछुआ, भारतीय गिरगिट, और चीतल जैसे संवेदनशील प्रजातियों का आश्रय स्थल है।
- KGF में पाए जाने वाले 46 सरीसृप, 13 उभयचर, और 32 उच्च प्राथमिकता वाले पक्षी प्रजातियां भारत के पक्षियों की स्थिति (2023) रिपोर्ट में सूचीबद्ध हैं।
- यह क्षेत्र 2010 में खोजे गए अद्वितीय मकड़ी *Murricia hyderabadensis* का एकमात्र निवास स्थान है।

- **पर्यावरणीय महत्व:**

KGF न केवल जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करता है बल्कि झील और पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र को भी संरक्षित करता है जो हैदराबाद के पर्यावरण को संतुलित रखता है।

वनों की कटाई के खिलाफ प्रमुख आंदोलन:

1. **बिश्रोई आंदोलन (1730):**

राजस्थान में अमृता देवी और 363 बिश्रोई समुदाय के सदस्यों ने पेड़ों की कटाई का विरोध करते हुए अपने प्राण त्याग दिए।

2. **साइलेंट वैली आंदोलन (1973-1985):**

केरल में जैव विविधता की रक्षा के लिए जल विद्युत परियोजना के खिलाफ विरोध।

3. **चिपको आंदोलन (1973):**

उत्तराखंड में ग्रामीणों ने पेड़ों को गले लगाकर वनों की कटाई का विरोध किया।

4. **बक्सवाहा जंगल विरोध (2021):**

मध्य प्रदेश में 2 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई के खिलाफ कानूनी और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से विरोध।

5. **नंदगांव सोलर प्लांट विरोध (2025):**

महाराष्ट्र के किसानों ने अपनी पुश्तैनी जमीन के नुकसान के खिलाफ विरोध किया, जिससे परियोजना में कानूनी विवाद उत्पन्न हुए।

छात्रों का विरोध:

- **राजनीतिक विवाद:**

विपक्षी भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने कांची गचीबाउली की भूमि को पुनः प्राप्त कर इसे एक बड़ा पारिस्थितिक क्षेत्र बनाने का संकल्प लिया।

- **प्रमुख नेताओं का समर्थन:**

राज्य मंत्री भट्टी विक्रमार्का और डी. श्रीधर बाबू जो हैदराबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और वन मंत्री कोंडा सुरेखा से fading जंगल का दौरा करने का आग्रह किया।

- **मांग:**

पारिस्थितिकीविद वसीरेड्डी ने परियोजना का एक ईमानदार और विश्वसनीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करने की मांग की।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (पीएमएफएमई)

समाचार में क्यों है? यह योजना हाल ही में खबरों में थी।

प्री और मेंस के लिए प्रासंगिकता

प्री परीक्षा:

- योजनाओं के प्रमुख प्रावधान
- संबंधित अन्य योजनाएँ

मुख्य परीक्षा (GS पेपर III - आर्थिक विकास):

ग्रामीण अर्थव्यवस्था:

- सूक्ष्म उद्योगों और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित।
- **20-30% खाद्य बर्बादी** में कमी के आंकड़ों का उपयोग करके आर्थिक विकास पर तर्क प्रस्तुत करना।

महिला सशक्तिकरण:

- **50% से अधिक लाभार्थी** महिलाएँ।
- महिला समानता पर आधारित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।

सतत विकास:

- खाद्य बर्बादी में कमी से पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान।

सामाजिक न्याय और समावेशी विकास (GS I/GS II):

- अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (SHG) को लक्षित करना।
- प्रभाव का विश्लेषण: हाशिए पर समुदायों तक पहुंच, क्रेडिट और कौशल प्रशिक्षण में अंतर।

योजना के बारे में:

उद्देश्य:

- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक बनाना और प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाना।
- ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।
- खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में बर्बादी को कम करना।

लक्षित लाभार्थी:

- लगभग 20 लाख सूक्ष्म उद्यम।
- ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं (**50%+ लाभार्थी**), और SC/ST उद्यमियों पर विशेष ध्यान।

वित्तीय परीक्षण:

- पाँच वर्षों (2020-25) में ₹10,000 करोड़ का बजट।

- क्रेडिट-लिंकड सब्सिडी:
- व्यक्तिगत: परियोजना लागत का 35% (₹10 लाख तक)।
- SHG/FPO: 55% सब्सिडी।

मुख्य घटक:

उत्पन्न के लिए सहायता:

- मशीनरी, उपकरण, और कोल्ड स्टोरेज जैसी बुनियादी ढांचा सहायता।

क्षमता निर्माण:

- 2 लाख उद्यमियों के लिए कौशल प्रशिक्षण।

FSSAI पंजीकरण:

- मुफ्त पंजीकरण और खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने में सहायता।

विपणन सहायता:

- ब्रांडिंग, पैकेजिंग, और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ना।

क्रेडिट तक पहुंच:

- बैंकों और NBFC के साथ लिंक।

प्रभाव और चुनौतियाँ:

अपेक्षित प्रभाव:

- 8-10 लाख नौकरियों का सृजन।
- 20-30% खाद्य बर्बादी में कमी।
- किसानों की आय दोगुनी करने में योगदान।

चुनौतियाँ:

- ग्रामीण उद्यमियों में जागरूकता की कमी।
- क्रेडिट और तकनीकी विशेषज्ञता की सीमित पहुंच।
- राज्य स्तर पर कार्यान्वयन में देरी।

संबंधित अन्य योजनाएँ:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):

- **फोकस:** विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास।
- **PMFME से संबंध:** क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM):

- **फोकस:** महिलाओं के SHG और ग्रामीण आजीविका।
- **PMFME से संबंध:** लाभार्थियों की पहचान में सहायता।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):

- **फोकस:** ₹10 लाख तक के बिना गारंटी वाले ऋण।
- **PMFME से संबंध:** उपकरण और कार्यशील पूंजी के लिए सहायता।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY):

- **फोकस:** खाद्य प्रसंस्करण के लिए अवसंरचना विकास।
- **PMFME से संबंध:** सूक्ष्म उद्यमों के लिए बड़ी योजनाओं का उपयोग।

चीराओबा त्योहार

खबर में क्यों? कुकी ज़ो समुदाय के 6 नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) ने मेइतेई समुदाय को वार्षिक चेइराओबा उत्सव के दौरान बफर जोन में पहाड़ियों (थांगजिंग हिल) पर चढ़ने के खिलाफ चेतावनी दी है।

प्रासंगिकता:

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

- विभिन्न समुदायों और उनके त्योहारों से जुड़े प्रश्न जैसे कुकी-जो, मीतेई और चीराओबा त्योहार।
- प्रमुख पहाड़ियां और उनकी भौगोलिक स्थिति।

मुख्य परीक्षा के लिए:

जीएस पेपर I (समाज):

- चीराओबा के सांस्कृतिक महत्व और इसकी जातीय सीमाओं के साथ टकराव का विश्लेषण, जैसे "मणिपुर में सांस्कृतिक प्रथाओं का जातीय संबंधों पर प्रभाव पर चर्चा करें।"

जीएस पेपर II (शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध):

- बफर ज़ोन और जातीय हिंसा को नियंत्रित करने में केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका।
- "मणिपुर में कुकी-जो-मीतेई संघर्ष के संदर्भ में भारत के उत्तर-पूर्व में संधीय समरसता बनाए रखने की चुनौतियों की जांच करें।"

जीएस पेपर III (आंतरिक सुरक्षा):

- जातीय तनावों के सुरक्षा प्रभाव और नागरिक समाज के हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का आकलन।
- "मणिपुर में बफर ज़ोन संघर्ष समाधान में कैसे योगदान कर सकते हैं? हालिया उदाहरणों के साथ चर्चा करें।"

खबर की मुख्य बातें:

जातीय विभाजन:

- **कुकी-जो समुदाय के सीएसओ (नागरिक समाज संगठन):** उन्होंने थंगजिंग हिल्स जैसे पहाड़ी क्षेत्रों को अपनी पारंपरिक भूमि बताया है।
- **मीतेई समुदाय:** चीराओबा के दौरान पहाड़ी चढ़ाई करना उनकी परंपरा है, जिससे सांस्कृतिक अधिकार बनाम सुरक्षा के टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

सांस्कृतिक संवेदनशीलता बनाम प्रतिबंध:

- चीराओबा का पर्व मीतेई परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन कुकी-जो इसे घुसपैठ के रूप में देखते हैं।

सुरक्षा और प्रशासनिक विफलता:

- कुकी-जो समुदाय ने सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए ठोस कार्रवाई की कमी को लेकर असंतोष व्यक्त किया है।
- कुकी-जो क्षेत्रों के लिए अलग प्रशासन की मांग प्रशासन पर उनके विश्वास की कमी को दर्शाती है।

हिंसा का खतरा:

- "प्रत्यक्ष खतरे" और "अनचाही घटनाओं" की चेतावनी संभावित हिंसा का संकेत देती है।
- सुरक्षा बलों द्वारा बनाए गए नाजुक संतुलन को और चुनौती दी जा सकती है।

कानूनी और संवैधानिक चिंताएं:

- कुकी-जो समुदाय ने मीतेई समुदाय की विशेष संवैधानिक स्थिति पर सवाल उठाया है।

बफर ज़ोन क्या हैं?

- **मणिपुर में बफर ज़ोन:** मई 2023 में जातीय हिंसा के बाद स्थापित किए गए।
- उद्देश्य: मीतेई नियंत्रित घाटी और कुकी-जो बहुल पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करना।
- **प्रमुख विशेषताएं:**
 - केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा भारी निगरानी।
 - जातीय संघर्षों को रोकने के लिए भौतिक विभाजन लागू।

उत्तर-पूर्व भारत के प्रमुख समुदाय:

मीतेई:

- इम्फाल घाटी में प्रमुख समुदाय।
- हिंदू धर्म के अनुयायी और चीराओबा जैसे सांस्कृतिक त्योहार मनाते हैं।
- अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं।

कुकी-जो:

- मणिपुर, मिज़ोरम और असम की पहाड़ियों में निवास।

- ईसाई धर्म के अनुयायी और अलग प्रशासन की मांग।

नागा:

- नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में फैले हुए।
- अलगाववादी आंदोलन और अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रसिद्ध।

मिज़ो:

- मिज़ोरम में प्रमुख समुदाय।
- कुकी-जो से भाषायी और सांस्कृतिक समानता।

बोडो:

- असम में केंद्रित।
- विद्रोह का इतिहास और अब स्थिरता के लिए समझौते किए गए।

अन्य जनजातियां:

- गारो, खासी, कार्बी, और ह्यार जैसे छोटे समूह उत्तर-पूर्व की विविधता को दर्शाते हैं।

अनुच्छेद 200/201

खबरों में क्यों? सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार यह आदेश दिया है कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर रेफरल की तिथि से तीन महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए।

मुख्य बिंदु

राष्ट्रपति के निर्णय के लिए तीन महीने की समय-सीमा:

- सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार यह आदेश दिया है कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर रेफरल की तिथि से तीन महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। यह **अनुच्छेद 201** के तहत संवैधानिक समय-सीमा की कमी को संबोधित करता है, जिससे समय पर कार्रवाई सुनिश्चित होती है।

राष्ट्रपति के कार्यों की न्यायिक समीक्षा:

- न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **अनुच्छेद 201** के तहत राष्ट्रपति के कार्य (जिसमें राज्यपालों द्वारा आरक्षित विधेयकों पर सहमति देना या सहमति न देना शामिल है) न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। यह पूर्ण कार्यकारी विवेक की किसी भी धारणा को कम करता है, जिससे प्रक्रिया जवाबदेह बनती है।

पॉकेट वीटो नहीं:

• न्यायालय ने "पॉकेट वीटो" की अवधारणा को खारिज कर दिया, जिसके तहत राष्ट्रपति औपचारिक रूप से स्वीकृति रोके बिना किसी निर्णय को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकते हैं। इसने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति को शक्ति के उचित प्रयोग के सिद्धांत के अनुरूप स्वीकृति देने या रोकने का सक्रिय रूप से चयन करना चाहिए।

उचित समय-सीमा सिद्धांत:

• संविधान में निर्धारित सीमा के बिना भी, न्यायालय ने माना कि कानूनों (अनुच्छेद 201 सहित) के तहत शक्तियों का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। तीन महीने से अधिक की देरी के लिए संबंधित राज्य को सूचित किए गए रिकॉर्ड किए गए कारणों की आवश्यकता होती है।

तमिलनाडु के राज्यपाल की कार्रवाई को खारिज किया गया:

• पीठ (न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन) ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के डीएमके के नेतृत्व वाली विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों पर स्वीकृति रोकने के फैसले को अवैध घोषित किया। प्रारंभिक अस्वीकृति के बाद 18 नवंबर, 2023 को पुनः पारित किए गए इन विधेयकों को स्वीकृत माना गया, जिससे लंबे समय से चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया।

निष्क्रियता के लिए राज्य का सहारा: • यदि राष्ट्रपति तीन महीने के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो राज्य इस निष्क्रियता को अदालत में चुनौती दे सकते हैं, जिससे कानूनी उपाय उपलब्ध होगा और विधायी मामलों में राज्य की स्वायत्तता मजबूत होगी।

संवैधानिक वैधता में न्यायालयों की भूमिका: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी विधेयक की संवैधानिकता के प्रश्नों का निर्णय कार्यपालिका (राष्ट्रपति या राज्यपाल) द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, ऐसे मुद्दों को अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाना चाहिए, जिससे संवैधानिक न्यायालयों के लिए न्यायिक विशेषाधिकार सुरक्षित रहेंगे। संघीय संबंधों पर

अनुच्छेद 200 और 201 के बारे में:

अनुच्छेद 200: विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति

प्रावधान:

• राज्यपाल:

1. विधेयक पर स्वीकृति दे सकते हैं।
2. स्वीकृति रोक सकते हैं।
3. राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं।
4. विधेयक (धन विधेयक को छोड़कर) को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस कर सकते हैं।

मुद्दे:

विवेकाधीन शक्तियाँ:

• स्वीकृति रोकने या सुरक्षित रखने में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की सीमा पर अस्पष्टता।

- निर्णय लेने में दुरुपयोग या देरी पर चिंताएँ।

विलंब की रणनीति:

- ऐसे उदाहरण जहाँ राज्यपालों ने राज्य विधेयकों पर निर्णय अनिश्चित काल के लिए विलंबित किए हैं, जिससे विधायी प्रक्रियाएँ प्रभावित हुई हैं।

संघीय तनाव:

- राज्यपालों द्वारा केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने के कथित पूर्वाग्रह, जिससे केंद्र-राज्य संबंधों में घर्षण पैदा होता है।

प्रमुख मामले: शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974):

- दोहराया गया कि राज्यपाल को विशिष्ट विवेकाधीन स्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए।

नबाम रेबिया बनाम उपसभापति (2016):

इस बात पर बल दिया गया कि राज्यपाल का विवेक सीमित है और इसे मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता। राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977):

सहकारी संघवाद पर जोर देते हुए केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में राज्यपाल की भूमिका पर प्रकाश डाला।

तमिलनाडु मामला (2025):

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्यपालों को उनके पास भेजे गए विधेयकों पर समयबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए, जिससे उचित समयसीमा के लिए मिसाल कायम हो।

अनुच्छेद 201: राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति का निर्णय प्रावधान: • जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है: 1. राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकते हैं।

2. राष्ट्रपति सहमति को रोक सकते हैं।

मुद्दे:

समय-सीमा का अभाव:

- संविधान राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं करता है, जिसके कारण अनिश्चितकालीन देरी होती है (जिसे "पॉकेट वीटो" कहा जाता है)।

न्यायिक समीक्षा:

- अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों (या निष्क्रियताओं) के बारे में प्रश्न न्यायिक जांच के अधीन हैं या नहीं।

कार्यपालिका का अतिक्रमण:

- राज्य विधायी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के लिए राष्ट्रपति के कार्यालय का उपयोग करने के बारे में केंद्र की चिंताएँ।

मुख्य मामले:

किहोटो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हु (1992):

- अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पदाधिकारियों के मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमा को स्पष्ट किया और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के विवेक से जोड़ा।

केरल राज्य बनाम भारत संघ (1978):

- राज्य शासन में देरी करने के लिए अनुच्छेद 201 के संभावित दुरुपयोग पर प्रकाश डाला।

तमिलनाडु मामला (2025):

- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत आरक्षित विधेयकों पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए।

संबंधित आयोग और रिपोर्ट:

सरकारिया आयोग (1988):

- केंद्र-राज्य संबंधों में राज्यपाल की भूमिका पर विचार किया।
- राज्यपालों को विवेकाधीन शक्तियों के बार-बार इस्तेमाल से बचने और राज्य सरकार की सलाह के आधार पर कार्य करने की सलाह दी।

पुंछी आयोग (2010):

- राज्यपालों और राष्ट्रपति को राज्य के विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समयबद्ध रूपरेखा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 200 और 201 में संशोधन का सुझाव दिया।
- देरी को रोकने और सहकारी संघवाद सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को कम करने पर जोर दिया।

अनुच्छेद 201 पर एम.एम. पुंछी आयोग की सिफारिशें:

- विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के लिए 90 दिनों की सीमा का प्रस्ताव दिया।

वेंकटचलैया आयोग (2002):

- समयबद्ध निर्णय लेने और विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करने के महत्व को दोहराया।

आगे की राह:

- विधायी सुधार:
- राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए विशिष्ट समयसीमा अनिवार्य करने के लिए अनुच्छेद 200 और 201 में संशोधन करना।
- संघवाद को मजबूत करना:
- सुनिश्चित करना कि राज्यपाल और राष्ट्रपति सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के अनुरूप अपनी शक्तियों का प्रयोग करें।
- न्यायिक निगरानी:
- अनुच्छेद 200 और 201 के तहत शक्तियों के दुरुपयोग या देरी की जाँच करने के लिए न्यायिक समीक्षा को प्रोत्साहित करना।
- आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन:
- समय सीमा के लिए पुंछी आयोग के प्रस्ताव को अपनाना और विवेकाधीन शक्तियों के दायरे को स्पष्ट करना।

IMEEC पहल

समाचार में क्यों? भारत और इटली ने हाल ही में तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, और आर्थिक सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर सहमति व्यक्त की है, विशेष रूप से मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC) के संदर्भ में।

ग्री और मेन्स के लिए महत्वपूर्ण:

ग्री – IMEEC, अन्य BRI पहल, ट्रांस-यूरोपीय परिवहन नेटवर्क (TEN-T), चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), अफ्रीका महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA)।

मेन्स – जीएस 2 / जीएस 3

मुख्य बिंदु:

- मंत्रियों ने IMEEC कार्यान्वयन में तेजी लाने पर जोर दिया, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा, तकनीक, और पेशेवर आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग शामिल है।
- चर्चा में आर्थिक संबंधों को गहरा करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया, जिसमें दोनों देश वैश्विक और क्षेत्रीय विकासात्मक साझेदारियों पर काम कर रहे हैं, विशेष रूप से इटली का इंडो-पैसिफिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित।

IMEEC के बारे में:

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC) एक बहुराष्ट्रीय बुनियादी ढांचा और व्यापार पहल है, जिसे 2022-23 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच आर्थिक कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।

मुख्य बिंदु:

उद्देश्य: व्यापार, ऊर्जा, और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, जिसमें बंदरगाहों, रेलवे, और संचार नेटवर्क को जोड़ना शामिल है।

मार्ग: यह गलियारा भारत से मध्य पूर्व (सऊदी अरब और यूएई सहित) होकर यूरोप तक फैला है, जो समुद्री और भूमि मार्गों का उपयोग करके एक प्रभावी व्यापार पथ बनाता है।

भागीदार: इसमें भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जॉर्डन आदि शामिल हैं, और यह जी20 फ्रेमवर्क का समर्थन करता है।

घटक: शिपिंग मार्ग, रेल नेटवर्क, हाइड्रोजन पाइपलाइन, और हाई-स्पीड डेटा केबल जैसे घटकों का विकास शामिल है।

महत्व: इसका उद्देश्य चीन की बेल्ट एंड रोड पहल जैसे प्रयासों का मुकाबला करना, क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाना और वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान करना है, जिससे पारंपरिक मार्गों जैसे स्वेज नहर पर निर्भरता कम हो।

प्रगति: भारत-इटली की हाल की बैठक (अप्रैल 2025) में तेज कार्यान्वयन और द्विपक्षीय सहयोग पर जोर दिया गया।

अन्य पहलें:

चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI):

2013 में लॉन्च, यह एक वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना है, जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप आदि के बीच व्यापार और आर्थिक एकीकरण बढ़ाने के लिए सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, और ऊर्जा पाइपलाइनों के नेटवर्क पर केंद्रित है। IMEEC को अक्सर इसका विकल्प माना जाता है।

ट्रांस-यूरोपीय परिवहन नेटवर्क (TEN-T):

यूरोपीय संघ की पहल जो पूरे यूरोप में एक व्यापक परिवहन नेटवर्क विकसित करने पर केंद्रित है, जिसमें सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, और बंदरगाह शामिल हैं।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC):

यह एक बुनियादी ढांचा परियोजना है जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग क्षेत्र से जोड़ती है।

अफ्रीका महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA):

इसमें अफ्रीकी महाद्वीप के भीतर व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए योजनाएँ शामिल हैं।

चेन्नई-व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर (EMC):

भारत और रूस के सुदूर पूर्व के बीच प्रस्तावित समुद्री मार्ग, जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक में व्यापार संबंधों को मजबूत करना है।

आरबीआई: शहरी उपभोक्ता पर रिपोर्ट

खबर में क्यों? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में किए गए सर्वेक्षणों में शहरी क्षेत्रों में नौकरी की उपलब्धता और आय वृद्धि के बीच असमानता को उजागर किया है। ये निष्कर्ष शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के बीच स्थिर आय, बढ़ती वस्तु कीमतों और खर्च व समग्र आर्थिक धारणा पर इसके प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाते हैं।

यूपीएससी मेन्स के लिए महत्व:

जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था):

आर्थिक विकास:

- रिपोर्ट भारत की आर्थिक वृद्धि और शहरी-ग्रामीण असमानताओं पर सवालों के लिए सामग्री प्रदान करती है, जिसमें स्थिर आय और बढ़ती वस्तु कीमतों जैसी चुनौतियां शामिल हैं।

मुद्रास्फीति और नीतियां:

- कीमतों में वृद्धि के कारण **80% से अधिक** बढ़े खर्च का प्रभाव, मौद्रिक नीति, आरबीआई की भूमिका और उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने के लिए सरकारी हस्तक्षेपों पर चर्चा के लिए प्रासंगिक है।
- केवल **34.7%** सकारात्मक आर्थिक धारणा उपभोक्ता विश्वास में कमी को इंगित करती है।

रोजगार और श्रम:

- नौकरी की उपलब्धता और आय स्थिरता के बीच का अंतर बेरोजगारी, वेतन नीति और कौशल विकास पर निबंध या उत्तरों के लिए प्रासंगिक है।

सर्वेक्षण के निष्कर्ष:

रोजगार धारणा:

- **35.5%** शहरी उत्तरदाताओं ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में रोजगार के अवसरों में सुधार हुआ है।
- शहरी क्षेत्रों में नौकरी की उपलब्धता स्थिर बनी हुई है, लेकिन आय के स्तर को लेकर आशावाद में गिरावट हो रही है।

स्थिर आय स्तर:

- केवल **23.8%** शहरी उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी आय पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है।
- रोजगार के अवसरों और आय वृद्धि के बीच लगभग **12% का अंतर** है।

ग्रामीण आय की चिंताएँ:

- **29.9%** ग्रामीण उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी आय पिछले वर्ष की तुलना में घटी है, जो शहरी उत्तरदाताओं के **23.3%** की तुलना में अधिक है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आय स्तर को लेकर निराशावाद शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक स्पष्ट है।

बढ़ती कीमतों का प्रभाव:

मूल्य वृद्धि:

- **90% से अधिक** शहरी उत्तरदाताओं ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं।
- इससे **80% से अधिक** शहरी उत्तरदाताओं का खर्च बढ़ गया है।

आर्थिक धारणा:

- नौकरी की स्थिर उपलब्धता के बावजूद, स्थिर आय और बढ़ती कीमतों ने समग्र आर्थिक धारणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
- केवल **34.7%** शहरी उत्तरदाताओं ने कहा कि इस वर्ष समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है — जो पिछले एक वर्ष में सबसे कम प्रतिशत है।

निष्कर्ष का महत्व:

1. डेटा यह दर्शाता है कि रोजगार वृद्धि और आय स्थिरता के बीच असंगति है, जो शहरी निवासियों के लिए मुद्रास्फीति के दबावों का सामना करना चुनौतीपूर्ण बना रहा है।

2. निष्कर्ष यह इंगित करते हैं कि वेतन स्थिरता, मुद्रास्फीति और उनके उपभोक्ता आत्मविश्वास एवं आर्थिक कल्याण पर पड़ने वाले संयुक्त प्रभाव को दूर करने के लिए नीतिगत उपायों की आवश्यकता है।

पोंडी मरीना

खबरों में क्यों? पोंडी मरीना, पुडुचेरी (पूर्व में पांडिचेरी), जो भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश है, में स्थित एक जीवंत समुद्रतटीय सैरगाह है। यह पुडुचेरी के पर्यटक आकर्षणों में एक नया और लोकप्रिय स्थान बन गया है। यह स्थान स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए एक सांस्कृतिक और मनोरंजन का केंद्र बन गया है।

पोंडी मरीना की मुख्य विशेषताएं:

स्थान:

- बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित, यह सैरगाह समुद्र के सुंदर दृश्यों के साथ पुडुचेरी के सतत और सुलभ शहरी बुनियादी ढांचे के विकास का हिस्सा है।

समुद्र तट गतिविधियां:

- यहां आगंतुक बीच वॉलीबॉल, जलक्रीड़ा और अच्छी तरह से रखरखाव वाले **रेतीले तटों पर सैर** का आनंद ले सकते हैं।

फूड कोर्ट और स्थानीय व्यंजन:

- **पोंडी मरीना** में एक ओपन **फूड कोर्ट है, जो पारंपरिक तमिल, फ्रेंच** और अन्य अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों सहित विविध स्वादिष्ट व्यंजन प्रदान करता है।
- ताजे समुद्री भोजन की विशेषता है, जिसे विभिन्न शैली में तैयार किया जाता है।

पारिवारिक माहौल:

- समुद्र तट को परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बच्चों के खेलने के क्षेत्र, छायादार बैठने की व्यवस्था और आराम करने के लिए पर्याप्त स्थान है।

पर्यावरण-अनुकूल पहल:

- टिकाऊ सामग्रियों के उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं और तटीय प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर जोर दिया गया है।

सांस्कृतिक केंद्र:

- **पोंडी मरीना** में अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत महोत्सव और कला प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं, जो पुडुचेरी की समृद्ध विरासत और कलात्मक प्रतिभाओं को प्रदर्शित करती हैं।

सुलभता:

- यह सड़क और सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और औरोविले और व्हाइट टाउन जैसे अन्य पर्यटक स्थलों से आसानी से पहुंचा जा सकता है।

अनुसूचित जातियों (SCs) का उप-श्रेणीकरण

समाचार में क्यों? तेलंगाना भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अनुसूचित जातियों (SCs) के उप-श्रेणीकरण को अधिसूचित किया है। यह कदम SC समुदायों के भीतर मौजूद असमानताओं को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

UPSC प्रीलिम्स और मेन्स के लिए प्रासंगिकता:

- **प्रीलिम्स:** SCs/STs के संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 341, 342, 15(4), 16(4)।
- **मेन्स:** निबंध और जीएस पेपर II (गवर्नेंस, सोशल जस्टिस) के लिए महत्वपूर्ण। यह समानता, आरक्षण नीति और कार्यान्वयन की चुनौतियों पर चर्चा का अवसर प्रदान करता है।

समाचार के मुख्य बिंदु:**श्रेणीकरण:**

समूह-I: 9% आरक्षण (सबसे पिछड़े वर्ग)।

समूह-II: 10% आरक्षण।

समूह-III: 5% आरक्षण।

- **आधार:** 26% SC जनसंख्या में से केवल 8.43% को पहले लाभ प्राप्त हो रहे थे।
- **उद्देश्य:** सबसे पिछड़े SC समूहों को आरक्षण में समायोजन के जरिए समान अवसर प्रदान करना।

संवैधानिक प्रावधान:**अनुच्छेद 341 और 342:**

अनुच्छेद 341: राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श के बाद SCs को अधिसूचित कर सकते हैं। सूची में संशोधन का अधिकार केवल संसद के पास है।

अनुच्छेद 342: STs के लिए यही प्रावधान लागू।

- **अनुच्छेद 15(4) और 16(4):** सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, जिसमें SCs/STs शामिल हैं, के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देते हैं।

हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले:

राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024):

- 6:1 बहुमत से 2004 के *E.V. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश* के फैसले को पलट दिया।
- राज्यों को SCs और STs का उप-श्रेणीकरण करने की अनुमति दी गई, बशर्ते यह डेटा पर आधारित हो।
- **मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़:** SCs कोई एकरूप समूह नहीं हैं।
- **न्यायमूर्ति बी.आर. गवई:** सबसे पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता देना न्यायसंगत।
- **न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी (अल्पमत):** राज्यों को राष्ट्रपति की सूची में परिवर्तन का अधिकार नहीं।

मुद्दे और चुनौतियां:

1. **आंकड़ों की आवश्यकता:** राज्यों को प्रतिनिधित्व की कमी दिखाने के लिए ठोस सबूत की जरूरत होती है।
2. **क्रीमी लेयर पर बहस:** उन्नत वर्गों को बाहर करने का सुझाव जटिलताओं को बढ़ा सकता है।
3. **राजनीतिक दुरुपयोग:** उप-श्रेणीकरण का चुनावी लाभ के लिए उपयोग होने का जोखिम।
4. **कानूनी अनिश्चितता:** 2024 के फैसले पर पुनर्विचार याचिका लंबित।
5. **समानता बनाम विभाजन:** उप-श्रेणीकरण SC/ST समुदायों की एकता को प्रभावित कर सकता है।

आगे की राह:

1. **व्यापक जातिगत जनगणना:** SCs और STs के बीच पिछड़ेपन को मापने के लिए डेटा संग्रह।
2. **स्पष्ट दिशानिर्देश:** उप-श्रेणीकरण के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा मानक मानदंड स्थापित करना।
3. **न्यायिक निगरानी:** कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक समर्पित आयोग का गठन।
4. **क्षमता निर्माण:** राज्यों को डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए प्रशिक्षित करना।
5. **जन-जागरूकता:** समुदायों को उप-श्रेणीकरण के लाभ समझाने के लिए अभियान।
6. **नियमित समीक्षा:** नीतियों का समय-समय पर मूल्यांकन।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL)

खबर में क्यों? गुजरात तट के पास 311 किलोग्राम मेथामफेटामाइन की जब्ती, जो तस्करों द्वारा समुद्र में फेंकी गई थी, भारत के मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रहे प्रयासों को उजागर करती है। यह अभियान गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्कॉड (ATS) और भारतीय तटरक्षक बल (ICG) द्वारा संयुक्त रूप से IMBL के पास संचालित किया गया।

यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स के लिए महत्व

- **प्रीलिम्स:** मेथामफेटामाइन, IMBL, UNCLOS, EEZ जैसे विषय।

- **मेन्स:** जीएस पेपर III (आंतरिक सुरक्षा) और मादक पदार्थों की तस्करी, तटीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर निबंध। भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और मादक पदार्थ तस्करी से निपटने में चुनौतियों पर चर्चा का अवसर।

मेथामफेटामाइन के बारे में:

- **परिचय:** मेथामफेटामाइन एक शक्तिशाली और अत्यधिक नशे वाला सिंथेटिक उत्तेजक पदार्थ है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसे "मेथ," "क्रिस्टल मेथ," या "आईस" के रूप में जाना जाता है।
- **प्रभाव:** डोपामाइन का स्तर बढ़ाता है, जिससे आनंद, ऊर्जा और सतर्कता में वृद्धि होती है, लेकिन यह गंभीर नशे, मानसिक विकार, हृदय रोग, और दीर्घकालिक उपयोग से मृत्यु का कारण बन सकता है।
- **उत्पादन:** अवैध रूप से छद्मेफेड्रिन या एफेड्रिन जैसे प्रीकर्सर रसायनों का उपयोग करके निर्मित। प्रमुख उत्पादन केंद्र दक्षिण-पूर्व एशिया (जैसे, **गोल्डन ट्रायंगल**) और मेक्सिको।
- **वैश्विक प्रभाव:** यह दुनिया भर में मादक पदार्थों की समस्या, संगठित अपराध, स्वास्थ्य संकट और आर्थिक नुकसान का प्रमुख कारण है। UNODC के अनुसार, इसकी तस्करी बढ़ रही है और भारत एक प्रमुख ट्रांजिट बिंदु बनता जा रहा है।
- **भारत में कानूनी स्थिति:** इसे मादक पदार्थ और **मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act)** के तहत मनःप्रभावी पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके तहत तस्करी के लिए कड़ी सजा (20 साल की सजा या आजीवन कारावास) का प्रावधान है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL):

- **परिभाषा:** IMBL वह सीमांकित रेखा है जो दो निकटवर्ती तटीय राज्यों के क्षेत्रीय जल को विभाजित करती है। यह सीमा संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून सम्मेलन (UNCLOS) के तहत स्थापित की जाती है। भारत के लिए यह पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ समुद्री सीमाओं को परिभाषित करती है।

भारत-पाकिस्तान IMBL:

- अरब सागर में चलती है और तट से लगभग 12 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है, जो क्षेत्रीय जल की सीमा को चिह्नित करती है।
- इसके परे अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) है, जो 200 समुद्री मील तक फैला है।

महत्व

मछली पकड़ने, नेविगेशन और संसाधन अन्वेषण को विनियमित करता है।

- तस्करी, समुद्री डकैती, और अवैध प्रवास की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र।
- **तनाव का क्षेत्र:** विशेष रूप से तस्करी मार्गों के पास होने के कारण, हाल ही में गुजरात के पास मेथामफेटामाइन जब्ती जैसी घटनाएं।

सुरक्षा चुनौतियां:

- भारत IMBL की गश्त के लिए भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना को तैनात करता है।

- रडार और सैटेलाइट निगरानी के माध्यम से सीमा पार अवैध गतिविधियों को रोकने के प्रयास करता है।
- पाकिस्तान और खाड़ी देशों से तस्करी मार्गों के निकट होने के कारण उच्च जोखिम।

GPS स्पूफिंग

खबरों में क्यों? भारतीय वायु सेना (IAF) के परिवहन विमान को 28 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत मिशन (ऑपरेशन ब्रह्मा) के दौरान "GPS स्पूफिंग" का सामना करना पड़ा। 7.7-तीव्रता के भूकंप के बाद म्यांमार में इस मिशन के सफल संचालन ने साइबर खतरों और विमानन सुरक्षा पर चर्चा को तेज कर दिया है।

UPSC के लिए प्रासंगिकता:

प्रीलिम्स: GPS स्पूफिंग और संबंधित तकनीकी शब्दावली।

GS पेपर 3: सुरक्षा

- विशेष रूप से म्यांमार जैसे संघर्ष क्षेत्रों में सैन्य विमानन की साइबर खतरों के प्रति संवेदनशीलता।
- भारत के मानवीय और रक्षा अभियानों पर इसका प्रभाव।

GPS (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम):

GPS एक उपग्रह-आधारित नेविगेशन प्रणाली है जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थान और समय की जानकारी प्रदान करता है।

GPS कैसे काम करता है?

- कम से कम 24 उपग्रहों के समूह से संकेत प्रसारित होते हैं।
- GPS उपकरण इन संकेतों को प्राप्त कर उनके प्रसारण समय के आधार पर स्थान की गणना करते हैं।

GPS के उपयोग:

नेविगेशन: वाहन, जहाज, और विमान में।

मानचित्रण: भूस्थानिक मानचित्रण और सर्वेक्षण।

सैन्य: अभियानों, लक्ष्यीकरण और टोही में महत्वपूर्ण।

आपातकालीन सेवाएँ: आपदा प्रबंधन और खोज व बचाव मिशन में।

दैनिक उपयोग: स्मार्टफोन, पहनने योग्य उपकरण, और लॉजिस्टिक्स।

GPS स्पूफिंग क्या है?

GPS स्पूफिंग एक साइबर हमले की तकनीक है, जिसमें नकली GPS संकेत भेजे जाते हैं ताकि नेविगेशन सिस्टम को गलत स्थान या समय की जानकारी प्राप्त हो।

GPS स्पूफिंग कैसे काम करती है?

संकेत की नकल:

- हमलावर असली उपग्रह संकेतों की नकल करते हैं।
- नकली संकेत वास्तविक संकेतों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, जिससे उपकरण भ्रमित हो जाते हैं।

उपकरण भ्रम:

- उपकरण नकली संकेतों को पकड़ लेता है और गलत स्थान या समय प्रदर्शित करता है।

GPS स्पूफिंग के परिणाम:

सुरक्षा जोखिम:

सैन्य: ड्रोन, वाहन, या मिसाइल को गुमराह करना।

शिपिंग: जहाजों को गलत मार्ग पर ले जाना।

आर्थिक प्रभाव:

- लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान।
- टोल संग्रह या राइड-हेलिंग सेवाओं में धोखाधड़ी।

व्यक्तिगत सुरक्षा:

- नेविगेशन पर निर्भर उपयोगकर्ताओं (जैसे चालक या हाइकर्स) के लिए खतरा।

महत्वपूर्ण अवसंरचना:

- बैंकों, दूरसंचार, और पावर ग्रिड जैसे समय पर निर्भर प्रणालियों को बाधित करना।

संबंधित उदाहरण:

- ऑपरेशन ब्रह्मा में IAF मिशन पर असर।
- रूसी बंदरगाह नोवोरोस्सिस्क के पास जहाजों के गलत GPS स्थान रिपोर्ट करने का मामला।
- GPS स्पूफिंग की बढ़ती घटनाएँ साइबर सुरक्षा और GPS-आधारित प्रणालियों की मजबूती पर जोर देती हैं।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025

समाचार में क्यों? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, जो इस द्विवार्षिक रिपोर्ट का चौथा संस्करण है, जारी की गई है। यह रिपोर्ट भारत के राज्यों में न्याय वितरण प्रणाली का मूल्यांकन करती है, जिसमें **पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता** के चार प्रमुख स्तंभ शामिल हैं।

दक्षिणी राज्यों, विशेषकर कर्नाटक ने, रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि पश्चिम बंगाल बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में सबसे नीचे है। रिपोर्ट में न्याय वितरण में क्षेत्रीय असमानताओं, महत्वपूर्ण रुझानों और चुनौतियों को उजागर किया गया है।

यूपीएससी के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?

मुख्य परीक्षा- सामान्य अध्ययन पेपर II (राजनीति और शासन) के लिए प्रासंगिक, जिसमें न्यायपालिका, पुलिस सुधार और न्याय वितरण तंत्र शामिल हैं/सामाजिक न्याय और समावेशी शासन

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

शीर्ष प्रदर्शनकर्ता:

- **कर्नाटक** पहले स्थान पर रहा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु का स्थान है।

निचले प्रदर्शनकर्ता:

- **पश्चिम बंगाल** अंतिम स्थान पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और राजस्थान भी अंतिम पांच राज्यों में शामिल हैं।

प्रमुख सुधार:

- **तेलंगाना** ने सबसे बड़ी छलांग लगाई, 2022 में 11वें स्थान से 2025 में तीसरे स्थान पर पहुंचा।
- **बिहार** ने पुलिस संकेतकों में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई, हालांकि इसका पुलिस-जनसंख्या अनुपात सबसे कम है।
- **राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश** ने न्यायिक संकेतकों में सबसे अधिक सुधार किया।

छोटे राज्यों की रैंकिंग:

- **सिक्किम** सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा, जबकि गोवा सबसे पीछे रहा।

महत्वपूर्ण मुद्दे:

- **अंडरट्रायल कैदियों की वृद्धि:** जेल की आबादी का लगभग 76% अंडरट्रायल कैदियों का है, जो एक दशक पहले 66% था।
- **संसाधन आवंटन:** आपराधिक न्याय बजट का बड़ा हिस्सा वेतन पर खर्च होता है, जिससे बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त धन नहीं बचता।

सार्वजनिक सुधारों की मांग;

- पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज **संजय किशन कौल** ने सार्वजनिक दबाव, शासन में नेतृत्व और मौजूदा स्थिति को चुनौती देने की आवश्यकता पर बल दिया।

राष्ट्रीय आंकड़े:

- **पुलिस-जनसंख्या अनुपात:** प्रति 100,000 लोगों पर 155 पुलिसकर्मी हैं, जो स्वीकृत संख्या 197.5 से काफी कम है।
- बिहार का अनुपात सबसे खराब है, जहाँ प्रति लाख आबादी पर केवल **81 पुलिसकर्मी** हैं।

क्षेत्रीय मुख्य बिंदु:

1. **न्यायपालिका:** पर्याप्त प्रतिनिधित्व और रिक्तियों की कमी।
2. **जेल:** बढ़ती आबादी और अधिक दबाव वाले बुनियादी ढांचे।
3. **कानूनी सहायता:** हरियाणा ने पहुंच में सबसे अधिक सुधार किया।

भारत में एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के नियमन का दृष्टिकोण

खबर में क्यों? यह लेख *द हिंदू* अखबार में प्रकाशित हुआ है और भारत में एआई नियमन और उससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करता है।

सामान्य अध्ययन (GS) पेपर के लिए प्रासंगिकता:

- **GS पेपर III – विज्ञान और प्रौद्योगिकी:**
एआई का स्वास्थ्य, शिक्षा, और शासन जैसे क्षेत्रों में परिवर्तनकारी प्रभाव है, जिससे यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण विषय बन गया है।
- **GS पेपर IV – नैतिकता:**
एआई से जुड़े नैतिक मुद्दे, जैसे निर्णय लेने में पक्षपात, गोपनीयता संबंधी चिंताएँ और सामाजिक प्रभाव, नैतिकता के लिए एक प्रमुख विषय बनाते हैं।

लेख के मुख्य बिंदु:

1. एआई शासन और नियमन का महत्व:

- एआई शासन ने वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है।
- हाल के मुद्दों में मानवाधिकार, पक्षपात, और एआई प्रौद्योगिकियों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव शामिल हैं।
- अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, चीन, जापान, और दक्षिण कोरिया जैसे कई देश पहले से ही एआई के लिए नियामक ढांचे पर काम कर रहे हैं।

2. भारत की वर्तमान स्थिति:

- भारत में अभी तक एआई नियमन के लिए कोई औपचारिक ढांचा नहीं है, लेकिन इसकी बढ़ती महत्ता को स्वीकार किया गया है।
- एआई रणनीति को औपचारिक रूप से लागू करना बाकी है, हालांकि नैतिक, कुशल, सुरक्षित, और विश्वसनीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

3. एआई के लाभ और जोखिम:

- **लाभ:**
 - उत्पादकता बढ़ाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, और शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन जैसे क्षेत्रों में सेवाओं को बेहतर बनाने में एआई का उपयोग।
- **जोखिम:**
 - निर्णय में पक्षपात, गोपनीयता संबंधी चिंताएँ, नैतिक चुनौतियाँ, रोजगार विस्थापन, और साइबर सुरक्षा खतरे।

4. एआई नियमन के लिए वैश्विक दृष्टिकोण:

- यूरोपीय संघ (EU) ने *AI Act* जैसे व्यापक नियामक ढांचे बनाए हैं, जो सुरक्षा, पारदर्शिता, और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।
- उच्च-जोखिम वाली एआई अनुप्रयोगों पर विशेष जोर दिया गया है, जिन्हें नैतिक मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

5. भारत की एआई प्राथमिकताएँ:

तत्काल कदम:

- सुरक्षित एआई अपनाने के लिए नीतियाँ विकसित करना।
- विश्वसनीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना।
- नैतिक उल्लंघनों और डेटा के दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान करना।
- स्वास्थ्य, बैंकिंग और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्षेत्र-विशिष्ट नियमन की आवश्यकता।

6. नीति सुझाव:

- उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को नियंत्रित करने और गोपनीयता की रक्षा करने के लिए एआई नीति ढांचा स्थापित करें।
- एआई नवाचार और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोग विकसित करें।
- वंचित और कम सेवा प्राप्त समुदायों तक एआई के लाभ पहुँचाने के लिए समावेशिता सुनिश्चित करें।

7. सरकार और उद्योग की भूमिका:

- सरकारों को नैतिकता और गोपनीयता संबंधी चिंताओं को संबोधित करके एआई प्रौद्योगिकियों में सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करना चाहिए।
- उद्योग को स्व-नियामक तंत्र अपनाना चाहिए और राष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बैठाना चाहिए।

आगे का रास्ता:

- भारत को अन्य देशों से सीख लेते हुए एआई नियमन की ओर चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- सार्वजनिक जागरूकता और समाज की भागीदारी नीति-निर्माण का मार्गदर्शन करें।
- ऐसा संतुलित ढांचा बनाना चाहिए जो नवाचार को प्रोत्साहित करे, अधिकारों की रक्षा करे और जोखिमों को न्यूनतम करे।

औपचारिक विनिर्माण में महिलाओं की भागीदारी में गिरावट

खबरों में क्यों? यह लेख भारत के औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं की घटती भागीदारी और आर्थिक विकास एवं लैंगिक समानता पर इसके प्रभावों की चर्चा करता है।

UPSC के लिए प्रासंगिकता:

प्रारंभिक परीक्षा: तमिलनाडु की 'थोजी' योजना /।

मुख्य परीक्षा: जीएस पेपर I (समाज), जीएस पेपर II (शासन और नीतियां), और जीएस पेपर III (समावेशी विकास और आर्थिक विकास) के लिए प्रासंगिक।

समाचार के मुख्य बिंदु:**विनिर्माण में महिलाओं की घटती भागीदारी:**

- औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 2015-16 में 20.9% से घटकर 2022-23 में 18.9% रह गई।
- महिलाएं विनिर्माण में योगदान के बावजूद **निम्न भुगतान और अनौपचारिक नौकरियों** में केंद्रित हैं।

विनिर्माण: आर्थिक विकास का चालक:

- विनिर्माण भारत के जीडीपी का लगभग पांचवां हिस्सा है।
- इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बांग्लादेश और वियतनाम जैसे अन्य विकासशील देशों की तुलना में कम है।

महिलाओं की विनिर्माण में भौगोलिक एकाग्रता:

- पांच राज्य—तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और पश्चिम बंगाल—औपचारिक महिला विनिर्माण कार्यबल का **75% हिस्सा बनाते हैं**।
- बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, और हरियाणा में लैंगिक अंतर सबसे अधिक है, जहां महिलाओं का हिस्सा 6% से कम है।

महिलाओं के रोजगार में क्षेत्रीय एकरूपता:**औपचारिक क्षेत्र:**

- **60% महिलाएं वस्त्र**, परिधान और खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत हैं।

- तंबाकू एकमात्र औपचारिक क्षेत्र है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है।

अनौपचारिक क्षेत्र:

- तंबाकू और परिधान उद्योग महिलाओं के रोजगार में प्रमुख हैं, और अनौपचारिक तंबाकू उद्योग में 90% से अधिक महिलाएं हैं।

विनिर्माण में महिलाओं के लिए चुनौतियां:

- निम्न भुगतान और अनौपचारिक नौकरियों में उच्च एकाग्रता।
- कौशल प्रशिक्षण की कमी: केवल **6% महिलाओं** को औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलता है।
- शिक्षा में अंतर: विनिर्माण में **47% पुरुषों** ने माध्यमिक शिक्षा या उच्चतर पूरी की है, जबकि महिलाओं में यह केवल **30%** है।
- असुरक्षित कार्य वातावरण और राज्य-विशिष्ट हस्तक्षेपों की कमी।

भागीदारी बढ़ाने के सुझाव:

- महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उनकी उत्पादकता और भागीदारी बढ़ाई जाए।
- महिलाओं को उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- विनिर्माण में महिलाओं के लिए क्षेत्रीय विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाए।
- सुरक्षित और समावेशी कार्य वातावरण बनाया जाए:

उदाहरण: तमिलनाडु की 'थोज़ी' योजना के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए गए।

राज्य-विशिष्ट नीतियां अनूठी चुनौतियों का समाधान करें।

आगे का रास्ता:

- महिलाओं को अनौपचारिक से औपचारिक विनिर्माण नौकरियों में स्थानांतरित करने पर ध्यान केंद्रित करें।
- लैंगिक असमानता को कम करने के लिए शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और कार्यस्थल सुरक्षा में निवेश करें।
- समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय सुधार और राज्य-विशिष्ट योजनाएं लागू करें।

व्यय वित्त समिति (Expenditure Finance Committee (EFC)

समाचार में क्यों? जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन (JLM) के तहत ग्रामीण घरों में नल के जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए ₹2.79 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि की मांग की थी। लेकिन व्यय वित्त समिति (EFC) ने केवल ₹1.51 लाख करोड़ की सिफारिश की, जो कि मंत्रालय की मांग से 46% कम है।

यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा:

- सामान्य अध्ययन पेपर I: **JJM/EFC**, सामाजिक क्षेत्र की पहल और जल प्रबंधन।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा:

- सामान्य अध्ययन पेपर II (शासन, संविधान, राजनीति): केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध, सहकारी संघवाद, और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रश्न।
- सामान्य अध्ययन पेपर III (आर्थिक विकास, पर्यावरण): बुनियादी ढांचा विकास, जल प्रबंधन, और सतत विकास लक्ष्यों (SDG 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता) को प्राप्त करने की चुनौतियों से संबंधित।

समाचार के मुख्य बिंदु:

जल जीवन मिशन (JJM) फंडिंग और चुनौतियां:

लक्ष्य और आरंभ:

- यह मिशन 15 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया।
- उद्देश्य: 'हर घर जल' पहल के तहत लगभग 16 करोड़ ग्रामीण घरों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करना।
- लक्ष्य: दिसंबर 2024 तक पूरा करना।

प्रगति और देरी:

- 2024 तक 75% लक्ष्य (12 करोड़ घर) प्राप्त किया गया।
- शेष 4 करोड़ घरों को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2028 कर दी गई।

फंडिंग की मांग:

- बढ़ती लागत और लंबित कार्यों को ध्यान में रखते हुए, जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्र से ₹2.79 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि मांगी।

EFC सिफारिश:

- मंत्रालय की मांग की तुलना में EFC ने केवल ₹1.51 लाख करोड़ की सिफारिश की।
- मिशन के कुल बजट को ₹41,000 करोड़ घटाकर ₹8.69 लाख करोड़ कर दिया गया।

केंद्र-राज्य वित्तीय मॉडल:

- JJM 50:50 केंद्र-राज्य वित्त पोषण मॉडल पर कार्य करता है।
- राज्यों की भूमिका फंडिंग गैप को पूरा करने में अहम है।

लागत वृद्धि:

- 2019 में प्रति कनेक्शन लागत ₹30,000 थी, जो बढ़कर ₹1,37,500 हो गई है।
- वित्त मंत्रालय ने इस लागत वृद्धि के औचित्य की मांग की है।

व्यय वित्त समिति (EFC) के बारे में:

उद्देश्य:

- **EFC भारत की सार्वजनिक वित्त प्रणाली** का एक प्रमुख निकाय है, जो ₹500 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं/योजनाओं के व्यय प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन करता है।
- यह **वित्तीय अनुशासन, लागत-प्रभावशीलता, और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं** के साथ संरेखण सुनिश्चित करता है।

कार्य:

- वित्तीय प्रस्तावों का मूल्यांकन और व्यय की व्यावहारिकता का आकलन।
- फंडिंग प्रस्तावों को मंजूरी, संशोधन, या अस्वीकार करने की सिफारिश।
- लागत वृद्धि, कार्यान्वयन की चुनौतियों और अंतर्विभागीय समन्वय के मुद्दों को संबोधित करना।

संयोजन:

अध्यक्ष:

- व्यय सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय।

सदस्य:

- आर्थिक मामलों के विभाग और संबंधित मंत्रालय के प्रतिनिधि।
- नीति आयोग और अन्य संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी।

प्रक्रिया:

प्रस्ताव जमा करना:

- मंत्रालय विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

परीक्षण:

- वित्तीय और तकनीकी पहलुओं की जांच।

चर्चा:

- विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श।

सिफारिश:

- फंडिंग को मंजूरी, संशोधन या अस्वीकार की सिफारिश।
- ₹1,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को **कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति (CCEA)** को भेजा जाता है।

EFC बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश के लिए संतुलनकारी भूमिका निभाता है, जो विकासात्मक लक्ष्यों और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन स्थापित करता है।

वाहन-से-ग्रिड (V2G) प्रौद्योगिकी

खबर में क्यों? केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) ने IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी में केरल में वाहन-से-ग्रिड (V2G) प्रौद्योगिकी के एकीकरण की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) का उपयोग करके ग्रिड स्थिरता और ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है।

V2G क्या है?

V2G एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वाहन पावर ग्रिड और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जुड़ते हैं और बिजली का द्वि-दिशात्मक प्रवाह (Bidirectional Power Flow) सुनिश्चित करते हैं।

V2G प्रौद्योगिकी की प्रमुख विशेषताएँ

- **द्वि-दिशात्मक ऊर्जा आदान-प्रदान:** इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) अप्रयुक्त बिजली को ग्रिड में लौटाने में सक्षम होते हैं, जिससे ये विकेन्द्रीकृत भंडारण इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं।
- **संतुलित चार्जिंग:** स्मार्ट सिस्टम, जैसे टाइम-ऑफ-यूज (TOU) रेट्स, यह सुनिश्चित करते हैं कि चार्जिंग ऑफ-पीक घंटों या नवीकरणीय ऊर्जा की अधिक उपलब्धता के समय हो।
- **विविध अनुप्रयोग:** V2G के अलावा, वाहन-से-होम (V2H) और वाहन-से-वाहन (V2V) ऊर्जा हस्तांतरण जैसे संबंधित अनुप्रयोग भी मौजूद हैं।

V2G प्रौद्योगिकी के लाभ:

- **ऊर्जा मांग संतुलन:** पीक समय में ग्रिड पर दबाव कम करता है और विश्वसनीयता बढ़ाता है।
- **सौर ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा:** EV चार्जिंग को दिन के समय सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ संरेखित करता है, जिससे डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों में मदद मिलती है।
- **मोबाइल ऊर्जा भंडारण:** EVs नवीकरणीय ऊर्जा को संग्रहीत कर बाद में उपयोग करने के लिए उपलब्ध कराते हैं।
- **आर्थिक अवसर:** मुआवजा रणनीतियों से EV मालिकों को ग्रिड सेवाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

V2G प्रौद्योगिकी का वैश्विक प्रगति:

- **विकसित EV बाजार:** अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में V2G पायलट उन्नत हैं, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक कारों और बसों के साथ।
- **ग्रिड स्थिरता में योगदान:** कैलिफ़ोर्निया और नीदरलैंड जैसे क्षेत्रों में EVs संकट के समय आपातकालीन बिजली के रूप में कार्य करते हैं।
- **मानकीकरण का प्रयास:** V2G एकीकरण के लिए वैश्विक स्तर पर मानक और नियम विकसित किए जा रहे हैं।

भारत में V2G की स्थिति:

- **शुरुआती चरण:** भारत में V2G तकनीक अपनाने की प्रक्रिया प्रारंभिक स्तर पर है, जिसमें पायलट परियोजनाएं और अध्ययन चल रहे हैं।
- **चुनौतियाँ:** ध्यान वर्तमान में EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास और ग्रिड प्रबंधन मुद्दों पर है।
- **विनियामक अंतराल:** विकेंद्रीकृत ऊर्जा भंडारण नीतियों का विकास हो रहा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) EV-से-ग्रिड पावर फ्लो के लिए दिशानिर्देश तैयार कर रहा है।

द्वि-दिशात्मक पावर फ्लो के बारे में:

द्वि-दिशात्मक पावर फ्लो से तात्पर्य बिजली के स्रोत से लोड और इसके विपरीत, दोनों दिशाओं में प्रवाह की क्षमता से है।

- पारंपरिक रूप से, पावर ग्रिड एकल दिशा में काम करते थे, जहां बिजली केंद्रीय उत्पादन संयंत्रों से उपभोक्ताओं तक बहती थी।
- नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों (DERs) जैसे सोलर पैनल, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के उदय के साथ, द्वि-दिशात्मक प्रवाह आधुनिक ऊर्जा प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण बन गया है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के बारे में:

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक सांविधिक संगठन है। यह देश में विद्युत क्षेत्र की योजना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

CEA की प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ:

शक्ति क्षेत्र की योजना और नीति निर्माण:

- विद्युत प्रणालियों के अनुकूलतम विकास के लिए राष्ट्रीय योजनाएँ बनाना।
- उत्पादन, संचरण, और वितरण कार्यक्रमों को तैयार करना और निगरानी करना।

ग्रिड संचालन और मानक:

- विद्युत उत्पादन, संचरण, और वितरण के लिए मानक और नियम विकसित करना।
- ग्रिड प्रदर्शन की निगरानी और तकनीकी मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।

विनियामक और परामर्शदाता भूमिका:

- विद्युत नीतियों, विनियमों, और सुधारों पर विद्युत मंत्रालय को सलाह देना।

CEA की संरचना:

अध्यक्ष:

- केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त।

सदस्य:

- पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य, जिन्हें विशिष्ट कार्यों का जिम्मा दिया जाता है।

CEA ऊर्जा क्षेत्र के आधुनिकीकरण और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

यदि आपको किसी विशेष भाग पर अधिक जानकारी चाहिए, तो मुझे बताएं!

विकसित भारत 2047: राष्ट्रीय दृष्टि

खबरों में क्यों? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में विकसित भारत (Viksit Bharat) 2047 की राष्ट्रीय दृष्टि को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत किया है।

परिचय:

- भारत की 2047 की दृष्टि, जिसे 'विकसित भारत' कहा जाता है, का उद्देश्य देश को स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक एक विकसित अर्थव्यवस्था में बदलना है।
- यह दृष्टि चार आधारभूत स्तंभों पर आधारित है:
 - युवा (Yuva)
 - गरीब (Garib)
 - महिला (Mahila)
 - किसान (Kisan)
- इस दृष्टि को साकार करने के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, पर्यावरणीय स्थिरता, औद्योगिक आधुनिकीकरण, और सुशासन में समग्र प्रयासों की आवश्यकता है।

UPSC प्रीलिम्स के लिए महत्व:

- *विकसित भारत 2047*
- *भारतमाला योजना और उड़ान योजना* जैसे पहल।

UPSC मेन्स के लिए महत्व:

यह विषय विशेष रूप से निबंध लेखन और सामान्य अध्ययन (GS-II, GS-III) के लिए महत्वपूर्ण है।

GS-II: शासन और नीतियां

प्रासंगिकता:

- व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business), कर सुधार, और *भारतमाला* व *उड़ान योजना* जैसी पहलों पर चर्चा।

प्रश्न:

- "भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकारी पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।"
- "विकसित भारत की दृष्टि में युवा, महिला, किसान और गरीब को किस प्रकार शामिल किया गया है?"

GS-III: अर्थव्यवस्था, विज्ञान-तकनीक, पर्यावरण

प्रासंगिकता:

- भारत के GDP प्रक्षेपवक्र, अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों, डिजिटल परिवर्तन, और AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) को अपनाने पर चर्चा।
- नवाचार-चालित विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का महत्व।

प्रश्न:

- "विकसित भारत की दृष्टि को प्राप्त करने में अक्षय ऊर्जा और डिजिटल परिवर्तन की भूमिका पर चर्चा करें।"
- "भारत की 2047 तक 34.7 ट्रिलियन USD की अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा में अवसर और चुनौतियां क्या हैं?"

मुख्य विशेषताएं:

आर्थिक विकास प्रक्षेपवक्र:

- भारत की विकास दर 1951-52 में 2.9% से बढ़कर 2023-24 में 7.6% हो गई।
- GDP 2030 तक USD 7 ट्रिलियन और 2047 तक USD 34.7 ट्रिलियन (PHDCCI) तक पहुंचने का अनुमान।

प्रति व्यक्ति आय:

- 2030 तक प्रति व्यक्ति आय USD 4,667 और 2047 तक USD 21,000 तक पहुंचने का अनुमान।

GDP में क्षेत्रीय योगदान (2047 तक):

- कृषि: FY23 में 20% से घटकर 12%।
- औद्योगिक क्षेत्र: 34% तक बढ़ने की संभावना।
- विनिर्माण क्षेत्र: 25% तक पहुंचने की उम्मीद।
- सेवा क्षेत्र: 54% पर स्थिर।

प्रमुख कारक:

- व्यापार करने में आसानी में सुधार।
- भारतीय क्षेत्रों को वैश्विक मानकों तक पहुंचाकर MNCs का विकास।
- सेमीकंडक्टर उद्योग में क्षमता निर्माण।
- स्टार्टअप और निर्यात को बढ़ावा।
- कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में सुधार।
- सरकारी रिक्तियों को भरना (राष्ट्रीय और राज्य स्तर)।
- डिजिटल परिवर्तन को गति देना।
- अक्षय ऊर्जा उत्पादन में सुधार।
- भौतिक अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा।

वैश्विक स्थिति के लक्ष्य:

- 2030 तक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।

- 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।

अक्षय ऊर्जा लक्ष्य:

- भारत विश्व स्तर पर अक्षय ऊर्जा उत्पादन में चौथे स्थान पर।
- 2030 तक 500 GW स्थापित क्षमता का लक्ष्य।
- PHDCCI का अनुमान: 2040 तक 900 GW और 2047 तक 1500 GW।

डिजिटल और AI परिवर्तन:

- इंटरनेट पहुंच 2010 में 8% से बढ़कर 2024 में 52% और 2047 तक 82% तक पहुंचने का अनुमान।
- 2047 तक AI तैयारी में विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल होने का लक्ष्य।

नवाचार-चालित विकास:

- वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग 2019 में 52वें स्थान से बढ़कर 2024 में 39वें स्थान पर पहुंची।
- 2047 तक भारत विश्व के शीर्ष 5 नवाचार नेताओं में शामिल होगा (PHDCCI)।
- सेमीकंडक्टर उद्योग 2047 तक USD 750 बिलियन तक बढ़ने की संभावना।

प्रमुख सरकारी पहल:

- मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, गति शक्ति, भारतमाला, उड़ान योजना, और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर जैसे कार्यक्रम बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

नीति सुधार:

- औद्योगिक नीतियों को सरल बनाना।
- पारदर्शी कर व्यवस्था को लागू करना।
- सिंगल-विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य

आर्कटिक बोरियल ज़ोन (ABZ)

समाचार में क्यों: हाल ही में, Nature Climate Change पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन ने आर्कटिक बोरियल ज़ोन (ABZ) की कार्बन सिंक की भूमिका में महत्वपूर्ण बदलाव को उजागर किया है।

आर्कटिक बोरियल ज़ोन (ABZ) के बारे में:

आर्कटिक बोरियल ज़ोन (ABZ) लगभग 26 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एक विशाल क्षेत्र है जो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में फैला हुआ है। यह क्षेत्र निम्नलिखित हिस्सों में विभाजित है:

टुंड्रा:

- बिना पेड़ों वाले क्षेत्र, जो कम उगने वाले वनस्पतियों से ढके होते हैं।
- यहां पर परमारफ्रॉस्ट (स्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी) में भारी मात्रा में कार्बन संग्रहित है, जो विश्व की मिट्टी के कार्बन पूल का लगभग आधा हिस्सा है (लगभग 1.5 ट्रिलियन टन)।

बोरियल वन:

- विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम, जिसे टाइगा भी कहा जाता है।
- इसमें मुख्य रूप से स्प्रूस, फर, पाइन, और लार्च जैसे शंकुधारी वृक्ष शामिल हैं।
- ये वन कनाडा, अलास्का, साइबेरिया और स्कैंडिनेविया में फैले हुए हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन संग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वेटलैंड्स:

- ये जल-जमाव वाले क्षेत्र हैं जो पीट और जैविक पदार्थ में कार्बन संग्रहित करते हैं, जिससे क्षेत्र की कार्बन अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है।

इतिहास:

पारंपरिक रूप से, ABZ ने एक "नेट कार्बन सिंक" के रूप में कार्य किया है, यानी यह पौधों की वृद्धि और मिट्टी के संग्रहण के माध्यम से अधिक CO₂ अवशोषित करता है जितना कि वह श्वसन और अपघटन के माध्यम से छोड़ता है। ठंडी जलवायु कार्बन को परमारफ्रॉस्ट में संरक्षित करती है और सूक्ष्मजीव गतिविधियों को सीमित करती है, जो अन्यथा ग्रीनहाउस गैसों को छोड़ देती।

हालिया बदलाव:

हालिया अध्ययन के अनुसार, यह प्रक्रिया अब बदल रही है:

जंगल की आग (वाइल्डफायर):

- गर्म तापमान और शुष्क परिस्थितियों के कारण जंगल की आग अधिक तीव्र और सामान्य हो गई हैं।
- ये आग वनस्पति और जैविक मिट्टी की परतों को जला देती हैं, जिससे संग्रहित कार्बन CO₂ के रूप में निकल जाता है।
- अध्ययन में कहा गया है कि जब वाइल्डफायर उत्सर्जन को शामिल किया जाता है, तो ABZ का 40% हिस्सा कार्बन स्रोत बन जाता है।

परमारफ्रॉस्ट का पिघलना:

- बढ़ते तापमान के कारण परमारफ्रॉस्ट पिघल रहा है, जिससे पहले जमी हुई जैविक सामग्री सूक्ष्मजीव अपघटन के लिए उजागर हो रही है।
- यह प्रक्रिया CO₂ और मीथेन (एक अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस) को छोड़ती है।
- यह प्रभाव टुंड्रा क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट है।

ग्रीनिंग बनाम उत्सर्जन:

- गर्म परिस्थितियों के कारण ABZ में "ग्रीनिंग" हो रही है, यानी बढ़ते मौसम लंबे हो गए हैं और अधिक वनस्पति हो रही है।
- हालांकि, इन क्षेत्रों में कार्बन संग्रह में शुद्ध वृद्धि केवल थोड़े हिस्से में होती है।
- पिघलती मिट्टी और आग से निकलने वाला कार्बन अक्सर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्राप्त लाभों से अधिक होता है।
- ABZ में इन परिवर्तनों का वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र अब कार्बन सिंक के बजाय एक संभावित कार्बन स्रोत बन रहा है।

निवेशक दीदी" पहल

समाचार में क्यों: हाल ही में, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने "निवेशक दीदी" पहल के चरण 2 की शुरुआत की।

क्या है "निवेशक दीदी" चरण 2?

यह IEPFA और IPPB का एक संयुक्त प्रयास है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना है। इसका लक्ष्य महिलाओं को वित्तीय ज्ञान देकर सशक्त बनाना और उनके माध्यम से समुदायों में वित्तीय जागरूकता का प्रसार करना है।

पृष्ठभूमि: चरण 1 :

यह क्यों शुरू की गई?

- वित्तीय शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए, खासकर ग्रामीण महिलाओं में, जिनके पास बैंकिंग और वित्तीय ज्ञान की पहुंच नहीं होती।

क्या किया गया?

- महिला डाक कर्मचारियों और सामुदायिक नेताओं को वित्तीय प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया।

चरण 1 के परिणाम:

- 55,000 से अधिक प्रतिभागी, जिनमें अधिकांश महिलाएं थीं।
- लगभग 60% प्रतिभागी ग्रामीण क्षेत्रों से थे, जो इस पहल की जमीनी पहुंच को दर्शाता है।

चरण 2 के लक्ष्य:

चरण 2 का फोकस इस पहल को विस्तारित करने पर है:

1. पूरे भारत में **4,000 वित्तीय साक्षरता शिविरों** का आयोजन।
2. **40,000 महिला डाक कर्मचारियों** को इन शिविरों का नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षित करना।
3. महत्वपूर्ण वित्तीय विषयों पर शिक्षा देना:
 - जिम्मेदारीपूर्वक निवेश करना।
 - धोखाधड़ी को पहचानना और उससे बचना।
 - अच्छी बचत की आदतें बनाना।
 - डिजिटल बैंकिंग उपकरणों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की भूमिका:

उद्देश्य:

हर नागरिक, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों तक, सुलभ बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना।

यह कैसे मदद करता है?

- भारत के व्यापक डाक नेटवर्क का उपयोग ग्रामीण आबादी तक पहुंचने के लिए करता है।
- स्थानीय समुदायों में विश्वास पैदा करता है, क्योंकि यह एक विश्वसनीय संस्थान के साथ साझेदारी करता है।
- ग्रामीण परिवारों को अपनी धन योजनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सहायता करके वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देता है।

वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (OPT)

समाचार में क्यों: हाल ही में, अमेरिका सरकार ने एक विधेयक लाया है जो *Optional Practical Training (OPT)* कार्यक्रम को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है।

Optional Practical Training (OPT) क्या है?

- यह *F-1* वीजाधारक छात्रों के लिए एक अस्थायी रोजगार प्राधिकरण कार्यक्रम है।
- इसका उद्देश्य छात्रों को उनके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र से संबंधित व्यावहारिक कार्य अनुभव प्रदान करना है।
- प्रशासन:
 - यू.एस. सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) द्वारा प्रशासित।
 - स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विज़िटर प्रोग्राम (SEVP) द्वारा निगरानी की जाती है।
- यह *F-1* वीजा का एक महत्वपूर्ण लाभ है, जिससे छात्रों को अकादमिक कार्यक्रम के दौरान या बाद में ऑफ-कैपस काम करने की अनुमति मिलती है।

मुख्य बिंदु:

पंजीकरण:

- छात्रों को SEVP-सर्टिफाइड संस्थान (जैसे कॉलेज, विश्वविद्यालय) में कम से कम एक अकादमिक वर्ष (दो सेमेस्टर) के लिए पूर्णकालिक पंजीकरण करना आवश्यक है।

शिक्षा स्तर:

- प्रत्येक उच्च शिक्षा स्तर (जैसे स्नातक, परास्नातक, डॉक्टरेट) पर 12 महीने की OPT अवधि लागू होती है।
- अत्यधिक क्यूरिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (CPT) के कारण अयोग्य घोषित किए जाने वाले छात्रों पर लागू नहीं होता।

अपवाद:

- *English as a Second Language (ESL)* कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए OPT उपलब्ध नहीं है।

OPT के प्रकार:

प्री-कम्प्लीशन OPT:

- डिग्री पूरी होने से पहले कार्य प्राधिकरण।
- स्कूल सत्रों के दौरान 20 घंटे प्रति सप्ताह और ब्रेक के दौरान पूर्णकालिक काम करने की अनुमति।
- उपयोग किया गया समय पोस्ट-कम्प्लीशन OPT को कम करता है।

पोस्ट-कम्प्लीशन OPT:

- डिग्री आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद 12 महीने तक पूर्णकालिक या अंशकालिक काम करने की अनुमति।
- कार्यक्रम समाप्ति के 60 दिनों के भीतर शुरू करना अनिवार्य।

STEM OPT एक्सटेंशन:

- **STEM डिग्री (DHS STEM नामित डिग्री कार्यक्रम सूची के अनुसार)** वाले छात्रों के लिए **24 महीने** का विस्तार (कुल 36 महीने)।
- **शर्तें:**
 - नियोक्ता को **E-Verify** का उपयोग करना होगा।
 - नौकरी का कार्यक्षेत्र डिग्री से मेल खाना चाहिए।

पिलिकोड रायारमंगलम भगवती मंदिर

समाचार में क्यों: केरल के कासरगोड जिले में स्थित सदियों पुराने पिलिकोड रायारमंगलम भगवती मंदिर ने पहली बार सभी समुदायों के भक्तों के लिए अपने अंदरूनी हिस्से (नालाम्बलम) के द्वार खोल दिए हैं। यह ऐतिहासिक निर्णय जाति-आधारित प्रतिबंधों को समाप्त करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु:

ऐतिहासिक कदम:

- **पहली बार प्रवेश:** विशु पर्व की पूर्व संध्या पर, सभी समुदायों के भक्तों ने मंदिर के नालाम्बलम में प्रवेश किया, जिससे जातिगत भेदभाव का अंत हुआ।
- **पवित्र स्थान:** इससे पहले केवल ब्राह्मण, मारार, और वारियर जैसे चुनिंदा समुदायों को ही इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति थी।

सुधारवादी अभियान:

- **पहल:** यह सुधार पिलिकोड निनव पुरुष स्वयं सहायता संघ (Pilicode Ninav Purush Swayaamsahaya Sangham), एक पुरुष स्व-सहायता समूह, और जनकीय समिति (Janakiya Samithi), एक सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठनों की समिति, के नेतृत्व में हुआ।
- **याचिकाएँ:** मंदिर के तंत्री (मुख्य पुजारी), राज्य देवस्वम मंत्री, और मंदिर प्रशासन समिति से सार्वभौमिक प्रवेश अधिकारों की अपील की गई।

कार्यान्वयन:

- **परिवर्तन का क्षण:** सुबह 8 बजे, 16 भक्तों का एक समूह नालाम्बलम में प्रवेश कर पहली बार इस परिवर्तन का साक्षी बना।
- **तंत्री की भूमिका:** प्रारंभ में, तंत्री ने भक्तों को नालाम्बलम के पास प्रार्थना करने की अनुमति दी थी, जिससे पूजा अनुष्ठानों पर प्रभाव न पड़े।

- **स्थायी सुधार:** जनकीय समिति ने पुष्टि की कि नालाम्बलम में सभी भक्तों के लिए प्रवेश अब स्थायी रूप से खुला रहेगा।

पिलिकोड रायारमंगलम मंदिर के बारे में:

यह केरल के कासरगोड जिले के पिलिकोड में स्थित एक सदियों पुराना हिंदू मंदिर है। यह अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से यहां आयोजित होने वाले पारंपरिक थेय्यम (Theyyam) उत्सव के लिए।

ऐतिहासिक महत्व:

- **प्राचीन स्थल:** मंदिर भद्र काली (उत्तर की ओर मुख वाली देवी) की पूजा से जुड़ा हुआ है।
- **दंतकथाएँ:** मंदिर का इतिहास शांति और सामंजस्य की कहानियों से जुड़ा है, जैसे क्षेत्र में गायों और बाघों का शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।
- **स्थानीय नाम:** इसे पुलिकाडु (बाघों का जंगल) के रूप में जाना जाता था।

सांस्कृतिक प्रथाएँ:

- **थेय्यम उत्सव:** मंदिर में उर्पाझस्सी थिरा जैसे थेय्यम प्रदर्शन आयोजित होते हैं।
- **महान घटनाएँ:** अप्रैल 2009 जैसी प्रमुख घटनाओं में भगवती देवी की दिव्य हस्तक्षेप की कहानियाँ, जैसे मूचिलोत्तन का देवी से सामना और थलचिरावन देवम के रूप में उनकी पूजा।

ऑपरेशन ब्रह्मा

समाचार में क्यों: ऑपरेशन ब्रह्मा चर्चा में है क्योंकि भारत ने 28 मार्च, 2025 को म्यांमार और थाईलैंड में आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद तेजी से मानवीय सहायता पहुंचाई। यह ऑपरेशन क्षेत्र में भारत की "प्रथम प्रतिक्रिया देने वाले" (First Responder) की भूमिका को दर्शाता है।

ऑपरेशन ब्रह्मा के मुख्य बिंदु:

- **शुरुआत की तारीख:** 29 मार्च, 2025।
- **शामिल बल:** भारतीय नौसेना, सेना, वायु सेना, और एनडीआरएफ, जिनका समन्वय विदेश मंत्रालय (MEA) और मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ द्वारा किया गया।

नौसेना की तैनाती:

INS सतपुड़ा और INS सवित्री: 29 मार्च को 52 टन राहत सामग्री लेकर यांगून (म्यांमार) के लिए रवाना।

INS कर्मुक और LCU 52: 30 मार्च को अंडमान और निकोबार कमान से अतिरिक्त राहत सामग्री लेकर प्रस्थान।

राहत सामग्री: कपड़े, पीने का पानी, भोजन, दवाइयाँ, और आपातकालीन वस्तुएं।

उद्देश्य: म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) प्रदान करना।

भारत के अन्य हालिया ऑपरेशन (2024-25)

ऑपरेशन अजय (सितंबर-अक्टूबर 2024):

- इज़राइल-हमास संघर्ष के दौरान 4,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को इज़राइल से निकाला गया।
- विशेष एयर इंडिया उड़ानों और नौसेना सहायता का उपयोग।

ऑपरेशन कावेरी (अप्रैल-मई 2024):

- सूडान में गृहयुद्ध के दौरान लगभग 3,700 भारतीय नागरिकों को बचाया गया।
- भारतीय वायु सेना और नौसेना के जहाजों का उपयोग।

ऑपरेशन गंगा (फरवरी-मार्च 2022, 2024 तक समर्थन):

- यूक्रेन से 18,000 से अधिक भारतीयों को निकाला गया।
- मुख्य ऑपरेशन 2022 में पूरा हुआ, लेकिन 2024 में समर्थन जारी रहा।

उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति (CFPI)

समाचार में क्यों: उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति (CFPI) मार्च में 2.7% तक गिर गई, जो पिछले तीन वर्षों का सबसे निचला स्तर है। यह फरवरी में 3.75% थी, जैसा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के आंकड़ों में बताया गया है।

यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए प्रासंगिकता:

- **प्रारंभिक परीक्षा:** मुद्रास्फीति के रुझान, आर्थिक संकेतकों और CMIE रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण। विषय: उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति (CFPI), खुदरा मुद्रास्फीति / थोक मुद्रास्फीति।
- **मुख्य परीक्षा:** जीएस-III के अंतर्गत - भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति नियंत्रण उपाय और इसका नागरिकों और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव।

समाचार के मुख्य बिंदु:

- **CFPI रुझान:** मार्च में CFPI 2.7% तक गिर गई, जो तीन वर्षों में सबसे निचला स्तर है, जिससे आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर मूल्य दबाव में कमी का संकेत मिलता है।
- **गिरावट के कारण:** सब्जियों, अनाज और अन्य प्रमुख खाद्य उत्पादों की कीमतों में कमी के कारण गिरावट।
- **आर्थिक प्रभाव:** कम CFPI से परिवारों की क्रय शक्ति में सुधार होता है और निम्न-आय वाले परिवारों पर खाद्य खर्च का बोझ कम होता है।
- **मौद्रिक नीति पर प्रभाव:** CFPI में गिरावट से आरबीआई की मौद्रिक नीति पर ध्यान केंद्रित करने और विकासोन्मुख उपाय अपनाने के लिए अधिक स्थान मिल सकता है।

• **क्षेत्रीय असमानताएँ:** राष्ट्रीय CFPI में गिरावट के बावजूद, आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों और स्थानीय मांग-आपूर्ति गतिशीलता के कारण क्षेत्रीय भिन्नताएँ बनी रहती हैं।

उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति (CFPI) के बारे में:

- CFPI उन खाद्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है, जिन्हें परिवार उपभोग करते हैं।
- यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का एक उपसमुच्चय है और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर को दर्शाता है।
- मुख्य घटकों में अनाज, दालें, सब्जियाँ, मांस और डेयरी उत्पाद शामिल हैं।
